CON. 3. 4.2.47
1000

अंक 4
संख्या 2

मंगलवार
15 जुलाई
सन् 1947 ई.

भारतीय विधान-परिषद

के

वाद-विवाद

की

सरकारी रिपोर्ट

(हिन्दी संस्करण)

विषय-सूची

			पृष्ठ
1.	परिचय-पत्रों की पेशी तथा रजिस्टर पर हस्ताक्षर	...	1
2.	नियमों में संशोधन	...	1
3.	अनुकरणीय प्रान्तीय विधान के सिद्धांतों के संबंध में रिपोर्ट	...	27
5.	परिशिष्ट	...	50

भारतीय विधान-परिषद्

मंगलवार, 15 जुलाई सन् 1947 ई.

भारतीय विधान-परिषद् की बैठक कान्स्टीट्यूशन हाल नई दिल्ली में दोपहर को तीन बजे अध्यक्ष (माननीय डा. राजेन्द्र प्रसाद) की अध्यक्षता में प्रारम्भ हुई।

परिचय-पत्रों की पेशी और रजिस्टर पर हस्ताक्षर

निम्नलिखित सदस्यों ने अपने परिचय-पत्र पेश किये और रजिस्टर पर हस्ताक्षर किये :–

1. माननीय मिस्टर हुसेन इमाम (बिहार: मुस्लिम)
2. श्री एन. माधव राव (पूर्वी रियासतों का ग्रूप 2)
3. राजा यादवेन्द्र सिंह जूदेव (मध्य भारतीय ग्रूप)
4. पं. ठाकुरदास भार्गव (पूर्वी पंजाब)
5. श्री जसीमुद्दीन अहमद (पश्चिमी बंगाल: मुस्लिम)

नियमों में संशोधन

***अध्यक्ष:** अब मैं नियमों पर आये हुये संशोधनों को लेता हूं।

नियम 2

***श्री के.एम. मुंशी:** (बम्बई: जनरल): अब मैं सिलसिलेवार नियमों पर अपने संशोधन पेश करना चाहता हूं। शायद सभा को इसमें सुविधा होगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव रखता हूं:

''नियम 2 के खण्ड (ख) से 'Sections or' शब्द निकाल दिये जायें। और खंड (च) भी निकाल दिया जाये।''

सभा यह देखेगी कि ये दोनों खण्ड सेक्शनों के सम्बंध में हैं। नियम 2 का खण्ड (ख) कहता है:–

'चेयरमैन' का मतलब है उस व्यक्ति से जो कुछ समय के लिए असेम्बली या उसके किसी सेक्शन अथवा समिति का सभापतित्व करता हो।

---

*इस चिह्न का अर्थ है कि यह अंग्रेजी वक्तृता का हिन्दी रूपान्तर है।

[श्री के.एम. मुंशी]

सेक्शन अब होंगे ही नहीं, इसलिये 'Sections or' शब्दों को निकाल देना होगा। खण्ड (च) को भी, जिसका सम्बंध सेक्शनों से है, नियमों से हटा देना चाहिये।

***अध्यक्ष:** प्रस्ताव यह है कि–

''नियम 2 के खण्ड (ख) से 'Sections or' शब्द निकाल दिये जायें और खण्ड (च) भी निकाल दिया जाये।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नियम 3

***श्री के.एम. मुंशी:** महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि:–

''नियम 3 में से 'or any section thereof' शब्द निकाल दिये जायें।''

***अध्यक्ष:** प्रस्ताव यह है कि:–

''नियम 3 में से 'or any section thereof' शब्द निकाल दिये जायें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नियम 4

***श्री के. सन्तानम्** (मद्रास: जनरल): श्रीमान्, नियम 4 के सम्बंध में मुझे एक संशोधन रखना है। मेरा प्रस्ताव है कि:–

''नियम 4 में से आदेश मूलक व्यवस्था हटा दी जाये।''

भारतीय धारा-सभा (Legislative Assembly) के समाप्त होने पर यह आवश्यक है क्योंकि अब इस आदेश का कोई अर्थ नहीं है। इसलिये मैं इसे हटाने का प्रस्ताव रखता हूं।

***श्री के.एम. मुंशी:** श्रीमान् श्री सन्तानम् के संशोधन को मैं मंजूर करता हूं।

***श्री श्रीप्रकाश** (संयुक्त प्रांतः जनरल): उन सदस्यों का क्या होगा जो इस समय विधान-परिषद् में दिल्ली और अजमेर मेरवाड़ा के निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ?

***श्री के.एम. मुंशी:** वर्तमान सदस्य बने रहेंगे पर अगर कोई जगह खाली होगी तो उस स्थिति के लिये श्री सन्तानम् के उस संशोधन में एक विशेष व्यवस्था रखी गई है जिसे नियम 5 के सम्बन्ध में वह अभी पेश करेंगे।

***अध्यक्ष:** प्रस्ताव यह है कि:–

''नियम 4 में से आदेश मूलक व्यवस्था हटा दी जाये।''

प्रस्ताव पास हुआ।

नियम 5

***श्री के.एम. मुंशी:** श्रीमान्, मैं यह प्रस्ताव रखता हूं कि:–

''नियम 5 के उपनियम (2) से ये शब्द 'or the appropriate authority in British Baluchistan' ''

''उपनियम 6 के स्थान पर यह रखा जाये:–

'(6) उपनियम (2) में उल्लिखित प्रार्थना के पाने के बाद जहां तक हो सके जल्द से जल्द सम्बंधित प्रांतीय धारा-सभा के अध्यक्ष–

(क) उपयुक्त सूचना द्वारा चुनाव के लिये किसी व्यक्ति को रिटर्निंग अफसर नियुक्त करेगा और इसी तरह वह और भी किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है जो रिटर्निंग अफसर के नियंत्रण के अधीन किसी भी चुनाव में रिटर्निंग अफसर के सारे कामों को अथवा उसके किसी काम को अदा कर सकता है, और

(ख) उपयुक्त सूचना द्वारा वह निम्नलिखित तारीखें भी निर्धारित करेगा–

(1) उम्मीदवारों की नामजदगी के लिये एक तारीख जो सूचना की तारीख से 15 दिनों से ज्यादा न हो;

[श्री के.एम. मुंशी]

(2) नामजदगी के परचों की जांच के लिए एक तारीख जो पहले बताई हुई तारीख के तीसरे दिन से आगे न जायेगी;

(3) उम्मीदवार द्वारा नामजदगी के परचों की वापसी के लिए एक तारीख जो परचे की जांच की तारीख से दो दिनों से आगे न हो; और

(4) एक और तारीख जो वापसी की तारीख से 21 दिनों से आगे न हो जिस दिन अगर जरूरत हुई तो वोट लिए जायेंगे'।''

इन संशोधनों को रखने का कारण यह है कि रिटर्निंग अफसर की नियुक्ति की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी और अब इस व्यवस्था की आवश्यकता समझी गई है।

***अध्यक्ष:** संशोधन यह है:–

''नियम 5 के उपनियम (2) से ये शब्द 'or the appropriate authority in British Baluchistan'''

''उपनियम 6 के स्थान पर यह रखा जाये:–

(6) उपनियम (2) में उल्लिखित प्रार्थना के पाने के बाद जहां तक हो सके जल्द से जल्द सम्बन्धित प्रांतीय धारा-सभा के अध्यक्ष–

(क) उपयुक्त सूचना द्वारा चुनाव के लिए किसी व्यक्ति को रिटर्निंग अफसर नियुक्त करेगा और इसी तरह वह और भी किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है जो रिटर्निंग अफसर के नियंत्रण के अधीन किसी भी चुनाव में रिटर्निंग अफसर के सारे कामों को अथवा उसके किसी काम को अदा कर सकता है, और

(ख) उपयुक्त सूचना द्वारा वह निम्नलिखित तारीखें भी निर्धारित करेगा–

(1) उम्मीदवारों की नामजदगी के लिये एक तारीख जो सूचना की तारीख से 15 दिनों से ज़्यादा न हो;

(2) नामजदगी के पर्चो की जांच के लिये एक तारीख जो पहले बताई हुई तारीख के तीसरे दिन से आगे न जायेगी;

(3) उम्मीदवार द्वारा नामजदगी के पर्चे की वापसी के लिये एक तारीख जो पर्चे की जांच की तारीख से दो दिनों से आगे न हो, और

(4) एक और तारीख जो वापसी की तारीख से 21 दिनों से आगे न हो जिस दिन अगर जरूरत हुई तो वोट लिये जायेंगे।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

***श्री के. सन्तानम्:** श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि:–

''नियम 5 के उपनियम (2) में 'as the case may be' शब्दों के बाद 'Advisory Councils of Delhi and Ajmer-Merwara' शब्द रखे जायें।''

''नियम 5 के उपनियम (5) में 'in any parts of India' शब्दों के बाद 'which is participating or entitled to participate in this Assembly' रखा जाये।''

''नियम 5 के उपनियम (ग) की जगह यह रखा जाये:–

'उपरोक्त नियम दिल्ली और अजमेर-मेरवाड़ा के सम्बंध में निम्नलिखित संशोधनों के साथ लागू होंगे:

(क) 'प्रान्तीय धारा-सभा' के स्थान पर 'दिल्ली एडवाइज़री कौंसिल या अजमेर-मेरवाड़ा एडवाइज़री कौंसिल, जैसी भी स्थिति हो' रखा जाये, तथा 'प्रान्तीय धारा-सभा के अध्यक्ष' के स्थान पर 'दिल्ली या अजमेर-मेरवाड़ा एडवाइज़री कौंसिल के चेयरमैन, जैसी भी स्थिति हो' रखा जाये।

(ख) बजाय इसके चुनाव में प्रान्तीय धारा-सभा का एक वर्ग भाग ले। दिल्ली या अजमेर-मेरवाड़ा एडवाइज़री कौंसिल के गैर सरकारी सदस्य भी भाग ले सकते हैं'।''

अपनाए हुए परिवर्त्तनों के परिणामस्वरूप ये संशोधन आवश्यक हैं। मैं नहीं समझता कि इनके सम्बन्ध में और कोई स्पष्टीकरण आवश्यक है।

***श्री के.एम. मुंशी:** श्रीमान्, श्री सन्तानम् के संशोधन को मैं मंजूर करता हूं। इनसे यह अर्थ निकलता है कि दिल्ली और अजमेर-मेरवाड़ा के प्रतिनिधियों का चुनाव उनकी एडवाइज़री कौंसिलों द्वारा होगा।

***अध्यक्ष:** विषय यह है:–

''नियम 5 के उपनियम (2) में 'as the case may be' शब्दों के बाद 'Advisory Councils of Delhi and Ajmer-Merwara' शब्द रखे जायें।''

''नियम 5 के उपनियम (5) में 'in any parts of India' शब्दों के बाद 'which is participating or entitled to participate in this Assembly' रखा जाये।''

''नियम 5 के उपनियम (ग) की जगह यह रखा जाये:–

'उपरोक्त नियम दिल्ली और अजमेर-मेरवाड़ा के सम्बंध में निम्नलिखित संशोधनों के साथ लागू होंगे:

(क) 'प्रांतीय धारा-सभा' के स्थान पर 'दिल्ली एडवाइज़री कौंसिल या अजमेरा-मेरवाड़ा एडवाइज़री कौंसिल, जैसी भी स्थिति हो' रखा जाये तथा 'प्रांतीय धारा-सभा के अध्यक्ष' के स्थान पर 'दिल्ली या अजमेर-मेरवाड़ा एडवाइज़री कौंसिल के चेयरमैन, जैसा भी स्थिति हो' रखा जाये।

(ख) बजाय इसके चुनाव में प्रांतीय धारा-सभा का एक वर्ग भाग ले। दिल्ली या अजमेर-मेरवाड़ा एडवाइज़री कौंसिल के गैर सरकारी सदस्य भी भाग ले सकते हैं'।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

***श्री के.एम. मुंशी:** अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि:–

''नियम 5 के उपनियम (5) में निम्नलिखित नया उपनियम रखा जाये:–

'यदि चुनाव हुआ तो सम्बंधित प्रांतीय धारा-सभा के अध्यक्ष उपयुक्त सूचना द्वारा वोट (मत) देने का स्थान निर्धारित करेंगे तथा इस बात के लिए कि उस तारीख को जो उपनियम (6) के खण्ड (ख) उपखण्ड (4) के अनुसार निर्धारित की गयी हो, वोटिंग कब से शुरू होगी और कब समाप्त होगी, समय निर्धारित करेंगे'।''

''नियम 5 के उपनियम (9) के अन्त में यह जोड़ा जाये:–

'जहां इस आशय के नियम या आदेश वर्तमान हैं, प्रान्तीय धारा-सभा के अध्यक्ष को अधिकार है कि वह प्रेसीडेंट की स्वीकृति लेकर उन नियमों में ऐसे संशोधन कर सकता है जो इस उपनियम के उद्देश्यों के लिए आवश्यक हों।'

उपरोक्त नियमों को रख लेने से चुनाव सम्बन्धी सारी बातें पूरी हो जाती हैं। नियम 5 में हमने रिटर्निंग अफसर की व्यवस्था जोड़ ली है। निर्वाचन सम्बंधी व्यवस्था को पूर्ण बनाने के लिये यह जरूरी है कि अध्यक्ष को यह अधिकार दिया जाये कि आवश्यक होने पर वह वोट ले सकता है। और फिर ऐसे भी नियम हो सकते हैं जिनमें संशोधन करना आवश्यक हो और हो सकता है कि विधान-परिषद् के पास पहुंचना सम्भव न हो। अत: निर्वाचन को पूरा करने के लिये अध्यक्ष को यह अधिकार दिया जा सकता है कि प्रेसीडेन्ट की स्वीकृति प्राप्त कर वह नियमों को संशोधित कर सकता है।

***श्री के. चेंगलराय रेड्डी:** श्रीमान्, जब पहले वाला संशोधन पेश हुआ था तो मैं यह प्रश्न करने के लिये खड़ा हुआ कि यदि किसी भारतीय रियासत में कोई जगह खाली हुई तो उसकी पूर्ति की क्या व्यवस्था की गयी है ? मुझे एक मित्र ने बताया कि नियमों में इसकी व्यवस्था शामिल कर ली गयी है और तब मैं बैठ गया। पर अब एक संशोधन पेश किया गया है जिसमें उपनिर्वाचन द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति की विधि निर्धारित की गयी है। नियमों को सरसरी निगाह से देखने पर मुझे उसमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं दिखाई देती, जिसमें भारतीय रियासतों में होने वाले रिक्त स्थान की पूर्ति की व्यवस्था हो। इसलिए मेरा सुझाव है कि जाब्ते के नियमों में इसके लिए कोई उपयुक्त व्यवस्था रखी जाये।

***श्री के.एम. मुंशी:** कुछ गलतफहमी पैदा हो गयी है। भारतीय रियासतों से होने वाले निर्वाचनों के सम्बंध में अध्यक्ष ने एक स्थायी आज्ञा निकाली है और ये निर्वाचन इसी आज्ञा के अनुसार होंगे। ये नियम तो चीफ कमिश्नर वाले प्रांतों के सम्बंध में हैं।

***अध्यक्ष:** प्रस्ताव यह है कि:–

''नियम 5 के उपनियम (5) में निम्नलिखित नया उपनियम रखा जाये:–

'यदि चुनाव हुआ तो सम्बन्धित प्रान्तीय धारा-सभा के अध्यक्ष उपयुक्त

[अध्यक्ष]

सूचना द्वारा वोट (मत) देने का स्थान निर्धारित करेंगे तथा इस बात के लिए कि उस तारीख को जो उपनियम (6) के खण्ड (ख) उपखण्ड (4) के अनुसार निर्धारित की गयी हो, वोटिंग कब से शुरू होगी और कब समाप्त होगी, समय निर्धारित करेंगे।''

''नियम 5 के उपनियम (9) के अन्त में यह जोड़ा जाये:–

'जहां इस आशय के नियम या आदेश वर्तमान हैं, प्रान्तीय धारा-सभा के अध्यक्ष को अधिकार है कि वह प्रेसीडेन्ट की स्वीकृति लेकर उन नियमों में ऐसे संशोधन कर सकता है जो इस उपनियम के उद्देश्यों के लिए आवश्यक हों'।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नियम 10

***श्री के.एम. मुंशी:** अब मैं नियम नं. 10 को लेता हूं। यह सेक्शनों की बैठक बुलाने के सम्बंध में है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह समूचा नियम निकाल दिया जाये।

***श्री श्रीप्रकाश:** मैंने आज सवेरे इस आशय के संशोधन की सूचना भेजी थी कि नियम 5 के बाद एक नया नियम जोड़ा जाये।

***अध्यक्ष:** मैं समझता हूं, यह सूचना आज सवेरे मिली।

***श्री श्रीप्रकाश:** मैं इसे और पेश्तर न भेज सका। आज सवेरे 10 बजे इसे भेजा।

***अध्यक्ष:** क्या यह सूचना देर से नहीं आई है ?

***श्री श्रीप्रकाश:** मेरा ख्याल है कि यह संशोधन बड़ा ही आवश्यक है क्योंकि इससे वर्तमान नियमों की एक त्रुटि दूर हो जाती है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इसे पेश करूं ?

***श्री के.एम. मुंशी:** क्या मैं नियम सम्बंधी एक प्रश्न उठा सकता हूं ? हमारा नियम नं. 66 कहता है:–''न तो कोई नया नियम बनाया जायेगा, न इन नियमों में से किसी में संशोधन किया जाएगा और न इनमें से किसी को निकाला जायेगा

सिवाय उस स्थिति के, जब कि नियम बनाने, उसमें संशोधन करने या उसको निकालने का प्रस्ताव स्टीयरिंग कमेटी के हवाले किया गया हो, जो प्रस्ताव पाने के दो सप्ताह के अन्दर अपनी रिपोर्ट विधान-परिषद् को भेज देगी।''

***श्री श्रीप्रकाशः** मैं आपके हाथ में हूं। मैं तो केवल एक खामी दूर करने की कोशिश कर रहा हूं। नये चुनाव हुये हैं। एक बाहरी अधिकारी द्वारा नियम 4 और 5 भंग किये गये हैं। यदि मेरा प्रस्ताव नहीं स्वीकार किया जाता है तो सारे चुनाव जो अभी बंगाल और पंजाब में हुए हैं नियम विरुद्ध हो जायेंगे।

***अध्यक्षः** कृपया तब तक रुकिये जब तक कि हम अन्य नियमों को निपटा न लें। इस बीच में मैं आपके संशोधन पर विचार करूंगा।

मसला यह है कि–

''नियम 10 स्वीकार किया जाये।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नियम 11

***श्री के.एम. मुंशीः** श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि:–

''नियम 11 में 'पांच उपाध्यक्ष' शब्दों की जगह 'दो उपाध्यक्ष' शब्द रखे जायें और इस नियम के अन्त में यह जोड़ दिया जाये:–

'Who shall be elected by the Assembly from amongst its members in such manner as the President may prescribe.'

(जो असेम्बली द्वारा इसके सदस्यों में से उस तरीके पर चुना जायेगा जैसा अध्यक्ष निर्धारित करें)।''

नियम 11 में पांच उपाध्यक्षों की व्यवस्था है और यह नियम 12 नं. से परस्पर सम्बन्धित है। जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक सेक्शन के चेयरमैन अपने पद की हैसियत से असेम्बली के उपाध्यक्ष होंगे। चूंकि अब सेक्शन नहीं रह गये यह नियम अनावश्यक हो गया है। इसके परिणामस्वरूप अब दो उपाध्यक्ष होंगे और दोनों को ही यह सभा चुनेगी।

श्रीमान्, मैं इसे पेश करता हूं।

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नियम 12

***श्री के.एम. मुंशी:** मैं प्रस्ताव करता हूं कि नियम 12 निकाल दिया जाये। यह लाज़मी हो गया है। श्रीमान्, मैं इसे पेश करता हूं।

प्रस्ताव मंजूर हुआ।

नियम 13

***श्री के.एम. मुंशी:** अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि–

''नियम 13 में 'नियम 12 (1)' शब्दों की जगह 'नियम 11' शब्द रखे जायें।''

नियम 13 में यह कहा गया है कि दो उपाध्यक्षों का चुनाव नियम 12 (1) के अन्तर्गत आता है। अब नियम 12 के हटा देने से तथा इस व्यवस्था को नियम 11 में मिला देने से, नियम 13 में तदनुकूल संशोधन कर देना चाहिए।

श्रीमान्, मैं इस प्रस्ताव को पेश करता हूं।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नियम 14

***श्री के.एम. मुंशी:** अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं–

''नियम 14 के उपनियम (2) में 'an elected' की जगह 'a' रख दिया जाये और 'as a whole' शब्दों को निकाल दिया जाये।''

नियम 14 यह कहता है कि यदि उपाध्यक्ष असेम्बली का सदस्य न रह जायेगा तो वह उपाध्यक्ष पद पर भी न रह जायेगा। ''असेम्बली के निर्वाचित उपाध्यक्ष का स्थान रिक्त होने पर उसकी पूर्ति समस्त असेम्बली चुनाव द्वारा करेगी।'' जो परिवर्तन किये गये हैं उनको देखते हुए 'an elected' रखने का कोई कारण नहीं है क्योंकि दोनों उपाध्यक्ष निर्वाचित किये जायेंगे। 'as a whole' शब्दों को रखने की भी अब कोई जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों ही उपाध्यक्ष अब समूची सभा द्वारा चुने जायेंगे।

श्रीमान्, मैं इसे पेश करता हूं।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नियम 17

***श्री के.एम. मुंशी:** श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि:–

''नियम 17 का उपनियम (6) निकाल दिया जाये और उपनियम (8) में से 'or a Joint Secretary' या एक संयुक्त-मंत्री शब्द हटा दिये जायें।''

उपनियम (6) में सेक्शन के मन्त्री के लिये व्यवस्था है और उसमें यह कहा गया है कि सेक्शन का मन्त्री असेम्बली का एक संयुक्त मन्त्री होगा। चूँकि संयुक्त मंत्री नहीं रखे गये हैं यह उपनियम निकाल देना चाहिये। 'संयुक्त मंत्री' शब्द उपनियम 8 में आगे चलकर आते हैं और इनको भी निकाल दिया जाये।

श्रीमान्, मैं इसे पेश करता हूं।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नियम 18

***श्री के.एम. मुंशी:** श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि:–

''नियम 18 से 'Sections and the' शब्द हटा दिये जायें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नियम 19

***श्री के.एम. मुंशी:** श्रीमान्, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं कि:–

''नियम 19 का उपनियम 1 (3) निकाल दिया जाये और उपनियम 1 (9) से 'or the Sections' शब्द हटा दिये जायें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नियम 23

***श्री के.एम. मुंशी:** श्रीमान्, मेरा प्रस्ताव है कि:–

''नियम 23 के बाद बतौर 23 (क) के निम्नलिखित नियम जोड़ दिया जाये:–

'23(क) (1) असेम्बली या इसकी किसी कमेटी की बैठक के लिये सदस्यों की कुल संख्या की कम से कम एक तिहाई उपस्थिति आवश्यक होगी।

(2) बैठक में किसी समय किसी सदस्य द्वारा उपस्थित सदस्यों की संख्या-गणना की मांग किये जाने पर यदि अध्यक्ष यह स्थिर करते हैं कि कुल सदस्यों की एक तिहाई उपस्थिति नहीं है, तो वह

[श्री के.एम. मुंशी]

असेम्बली या कमेटी को, जैसी भी स्थिति हो, 15 मिनट के लिए स्थगित कर देंगे और इतने समय के बाद पुनः सदस्यगणना लेने पर अगर यह पाया गया कि अब भी कोरम पूरा नहीं है, तो वह (अध्यक्ष) असेम्बली या कमेटी को, जैसी भी स्थिति हो, दूसरे दिन के लिए जिस दिन की साधारणतः वह बैठती हो, स्थगित कर देंगे।''

गत अवसर पर नियमों में कोरम सम्बन्धी प्रश्न का निर्णय नहीं किया गया था। तब उसे छोड़ दिया गया था कि पीछे एक अतिरिक्त नियम में इसे शामिल कर लिया जायेगा। श्रीमान्, मैं इसे रखता हूं।

***श्री के. संतानम्:** अध्यक्ष महोदय, मैं अपना संशोधन नहीं पेश कर रहा हूं।

***श्री श्रीप्रकाशः** श्रीमान्, क्या मैं यह जान सकता हूं कि आया ये संशोधन जो मि. मुंशी ने पेश किये हैं और वे संशोधन जो बाद में श्री सन्तानम् ने उपस्थित किये हैं, स्टियरिंग कमेटी के हवाले किये गये और क्या ये संशोधन स्टियरिंग कमेटी की नोट के रूप में हैं, या श्री मुंशी और सन्तानम् इन्हें नियम के बाहर होकर पेश कर रहे हैं?

***श्री के.एम. मुंशीः** ये नियम मेरे बनाये हुये नहीं हैं। ये नियम जिन्हें मैं सभा के सामने रख रहा हूं स्टियरिंग कमेटी ही की रिपोर्ट हैं। स्टियरिंग कमेटी ने इन पर जोर दिया था और मैं उसकी ओर से इन्हें पेश कर रहा हूं।

***श्री श्रीप्रकाशः** और मिस्टर के. संतानम् के संशोधन के बारे में आपका क्या कहना है ?

***श्री के.एम. मुंशीः** स्टियरिंग कमेटी द्वारा प्रस्तावित नियमों में ये संशोधन हैं और इसलिए ये संशोधन नियम 66 के दायरे से बाहर हैं। ये नये नियम नहीं हैं।

***श्री श्रीप्रकाशः** श्रीमान्, मैं नहीं जानता कि मिस्टर मुंशी के कथन से आप संतुष्ट हैं या नहीं। मैं तो नहीं हूं। मेरा ख्याल है कि मुझे भी अपना संशोधन उपस्थित करने की अनुमति दे सकते हैं संशोधन आपके सामने है और मैं इसे बहुत महत्वपूर्ण समझता हूं।

***अध्यक्षः** माननीय सदस्य से मैंने कहा है कि वह नियमों के समाप्त होने तक प्रतीक्षा करें। इस समय इसे पेश करने का सवाल ही नहीं खड़ा होता है।

***श्री श्रीप्रकाशः** जब तब याद दिला देना कारगर होता है। *(हंसी)*

***श्री जसपतराय कपूर** (संयुक्त प्रांतः जनरल): श्रीमान्, मैं अपना प्रस्ताव नहीं पेश करना चाहता।

***श्री आर.के. सिधवाः** मैं भी अपना संशोधन नहीं पेश कर रहा हूं।

***अध्यक्षः** तो मिस्टर मुंशी के संशोधन पर अब मत लिया जायेगा।

प्रस्ताव यह है कि–

''नियम 23 के बाद बतौर 23 (क) के निम्नलिखित नियम जोड़ दिया जाये:–

'23(क) (1) असेम्बली या इसकी किसी कमेटी की बैठक के लिये सदस्यों की कुल संख्या की कम से कम एक तिहाई उपस्थिति आवश्यक होगी।

(2) बैठक में किसी समय किसी सदस्य द्वारा उपस्थित सदस्यों की संख्या-गणना की मांग किये जाने पर यदि अध्यक्ष यह स्थिर करते हैं कि कुल सदस्यों की एक तिहाई उपस्थिति नहीं है तो वह असेम्बली या कमेटी को, जैसी भी स्थिति हो, 15 मिनट के लिए स्थगित कर देंगे और इतने समय के बाद पुनः सदस्यगणना लेने पर अगर यह पाया गया कि अब भी कोरम पूरा नहीं है, तो वह (अध्यक्ष) असेम्बली या कमेटी को, जैसी भी स्थिति हो, दूसरे दिन के लिए जिस दिन कि साधारणतः वह बैठती हो, स्थगित कर देंगे।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नियम 31

***श्री के.एम. मुंशीः** अब मैं नियम 31 पर आता हूं। मेरा प्रस्ताव है कि–

''इस नियम का उपनियम (3) निकाल दिया जाये।''

नियम 31 कहता है:–

''(1)ऐसा मसला जिस पर असेम्बली का निर्णय जरूरी हो, चैयरमैन द्वारा प्रश्न के रूप में सामने लाया जायेगा।

(2) उन सभी मामलों में, जिनमें असेम्बली का फैसला जरूरी हो, चैयरमैन सिर्फ तभी अपना मत देंगे जब समान मत आये हों।

(3) वक्तव्य के पैराग्राफ 19 (7) में उल्लिखित किसी मामले से सम्बन्ध रखने वाले किसी भी प्रश्न का निर्णय वहां दी हुई व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा।''

[श्री के.एम. मुंशी]

श्रीमान्, उपनियम 3 में कोई अच्छाई नहीं है। यह निष्प्रयोजन है। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि यह उपनियम निकाल दिया जाये।

***श्री एम.एस. अणे** (दक्षिणी रियासतें): क्या माननीय प्रस्तावक कृपया वक्तव्य का पैराग्राफ 19 (7) पढ़ देंगे?

***श्री के.एम. मुंशी:** यह यों है:–

''यूनियम कान्स्टीयूएंट असेम्बली के किसी ऐसे प्रस्ताव के लिए जो वक्तव्य के पैराग्राफ 19 (7) से भिन्न हो या जिससे कोई वृहत साम्प्रदायिक प्रश्न उठता हो, उपस्थित प्रतिनिधियों का बहुमत तथा दोनों प्रमुख सम्प्रदायों में से प्रत्येक का मत लिया जाना जरूरी होगा। अगर इस तरह के प्रस्ताव हों इस बात का फैसला, कि किस प्रस्ताव से बड़ा साम्प्रदायिक प्रश्न उठता है, असेम्बली के अध्यक्ष करेंगे और अगर दोनों प्रमुख सम्प्रदाओं में किसी सम्प्रदाय के प्रतिनिधियों का बहुमत उनसे ऐसा अनुरोध करे तो वे अपना फैसला देने से पहले फेडरल कोर्ट से परामर्श ले लेंगे।''

यह दोहरे बहुमत वाला भाग है और जैसा मैं कह चुका हूं इसमें कोई अच्छाई नहीं रह गई है।

***अध्यक्ष:** प्रस्ताव यह है कि–

''नियम 31 का उपनियम (3) निकाल दिया जाये।''

प्रस्ताव पास हुआ।

नियम 35

***श्री के.एम. मुंशी:** श्रीमान् मैं प्रस्ताव करता हूं कि:–

''नियम 35 की दो आदेश मूलक व्यवस्थायें हटा दी जायें।''

नियम और आदेश ये हैं:–

''असेम्बली के कार्य संचालन की विधि से सम्बन्ध रखने वाले सारे मामलों पर अध्यक्ष का फैसला आखिरी हो:

पर शर्त यह है कि अगर किसी प्रस्ताव से ऐसा प्रश्न उठता हो जिसके सम्बन्ध में यह दावा किया जाता है कि वह एक बड़ा साम्प्रदायिक प्रश्न है तो अध्यक्ष, यदि प्रमुख सम्प्रदाओं में से किसी भी सम्प्रदाय के प्रतिनिधियों के बहुमत ने उनसे ऐसा अनुरोध किया तो उस पर फैसला देने के पहले फेडरल कोर्ट का परामर्श लेंगे:

मगर फिर शर्त यह है कि कोई भी सेक्शन उन मामलों पर विचार नहीं करेगा जो यूनियन की विधान-परिषद् के अधिकार और कर्तव्यों के अन्तर्गत आते हों तथा वक्तव्य के पैराग्राफ 20 में उल्लिखित परामर्शदातृ-समिति की रिपोर्ट पर जो भी निर्णय यूनियन की विधान-परिषद् करेगी उसके प्रतिकूल कोई निर्णय न देगा।''

उन कारणों से जिनका उल्लेख मैंने कल किया था, ये आदेश बिल्कुल व्यर्थ हैं। इसलिये मैं प्रस्ताव करता हूं ये दोनों आदेश हटा दिये जायें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नियम 36

***श्री के.एम. मुंशी:** अब मैं नियम 36 को लेता हूं। पहले तो मेरा यह प्रस्ताव है कि पहली लाइन में 'exclusive' शब्द हटा दिया जाये। नियम कहता है कि– ''It shall be the exclusive function of the Advisory Committee referred to in paragraphs 19 & 20 of the statement to initiate and consider proposals'' अब चूंकि मूल वक्तव्य ही नहीं रहा तो 'exclusive' रखना बेमाने है।

दूसरे मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि इस नियम में जहां भी ''Union Constituent' शब्द आये हों वे, तथा ये शब्द ''shall be binding on the Section and'' निकाल दिये जायें।

***अध्यक्ष:** आप केवल ''Union Constituent'' शब्दों को हटाना चाहते हैं ?

***श्री के.एम. मुंशी:** हां महोदय, 'Assembly' शब्द रहेगा।

***अध्यक्ष:** प्रस्ताव यह है कि–''नियम 36 से–

(1) 'exclusive' शब्द,

(2) 'Union Constituent' शब्द, वे जहां भी आए हों, तथा

[अध्यक्ष]

(3) 'shall be binding on the section and' शब्द निकाल दिये जायें'।''

प्रस्ताव मंजूर हुआ।

नियम 41

***श्री के.एम. मुंशी:** श्रीमान्, नियम 41 स्टियरिंग कमेटी के कार्यों पर गौर करता है। उपनियम (1) (ग) यों है–''असेम्बली और सेक्शनों के बीच, भिन्न-भिन्न सेक्शनों के बीच, कमेटियों के बीच तथा अध्यक्ष असेम्बली के किसी शाखा के बीच, यह कमेटी सम्बन्ध स्थापित करने का काम करेगी।'' मैं प्रस्ताव करता हूं कि उपनियम (1) (ग) से ये शब्द–''असेम्बली और सेक्शनों के बीच, सेक्शनों के बीच'' हटा दिये जायें। अब इन शब्दों की कोई ज़रूरत नहीं रही।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नियम 42

***श्री के.एम. मुंशी:** इस नियम के उपनियम (1) (ख) में 'five' शब्द की जगह 'two' शब्द रखा जाये। चूंकि अब केवल दो ही उपाध्यक्ष हैं। यह परिवर्तन आवश्यक है।

***माननीय पं. हृदयनाथ कुंजरू:** क्या मैं श्री मुंशी से यह जान सकता हूं कि नियम 41 (1) (ग) का संशोधित रूप क्या होगा ?

***श्री के.एम. मुंशी:** यह यों होगा–यह कमेटी कमेटियों के बीच तथा अध्यक्ष और असेम्बली की किसी भी शाखा के बीच सम्बन्ध स्थापित करने का काम करेगी।

***माननीय पं. हृदयनाथ कुंजरू:** असेम्बली और कमेटियों के बीच सम्बन्ध स्थापित करने का काम करेगी ?

***श्री के.एम. मुंशी:** नहीं, कमेटियों के बीच।

***पं. गोविन्द मालवीय:** क्या श्रीयुत मुंशी यह समझाने की कृपा करेंगे कि अध्यक्ष और असेम्बली की किसी शाखा के बीच सम्बन्ध स्थापित करने से क्या मतलब है ? कमेटियों के बीच सम्बन्ध स्थापित करने की बात तो मैं समझ सकता हूं।

***श्री के.एम. मुंशी:** इस बात को समझाने के लिए मैं जिम्मेवार नहीं हूं।

***अध्यक्षः** मुझे भय है कि व्याख्या करने का प्रश्न बड़ी देर करके उठाया गया है। जब इसकी व्याख्या जरूरी होगी तो हम कर देंगे।

***माननीय श्री हुसेन इमाम** (बिहारः जनरल): जब किसी बात की निरर्थकता सभा को ज्ञात हो जाये तो सभा को अधिकार है कि वह तदनुकूल आवश्यक परिवर्तन कर ले।

***अध्यक्षः** प्रस्तावित संशोधन को लेकर ऐसी बात उठती ही नहीं है।

***अध्यक्षः** श्री मुंशी का संशोधन है कि नियम 42 खण्ड (ख) उपनियम (1) में 'five' शब्द की जगह 'two' शब्द रखा जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नियम 45

***श्री के.एम. मुंशीः** अब मैं नियम 45 पर आता हूं। यह भी पूर्ववर्ती नियमों के कारण आवश्यक है। उपनियम (2) हाउस कमेटी के बाबत यह कहता है:–

''कमेटी में गवर्नर वाले प्रत्येक प्रांत का प्रतिनिधित्व करने वाले 11 सदस्य होंगे जिनका चुनाव असेम्बली उस तरीके पर करेगी जो अध्यक्ष निर्धारित करेंगे।''

अब गवर्नर वाले प्रांतों की संख्या 11 नहीं रही। कमेटी की सदस्य संख्या 11 रह सकती है, पर प्रत्येक गवर्नर वाले प्रांतों का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा। मैं प्रस्ताव उपस्थित करता हूं।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नियम 46

***श्री के.एम. मुंशीः** दूसरा संशोधन नियम 46 के सम्बन्ध में है। यह नियम भी एक दूसरी कमेटी के बारे में है। मैं प्रस्ताव रखता हूं कि–

''इसमें से ये शब्द–'Or a Section according as the business of the Committee relates to the Assembly or the Section' हटा दिये जायें।''

यह भी आवश्यक है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नियम 47

***श्री के.एम. मुंशी:** मैं प्रस्ताव करता हूं कि नियम 47 से 'and the secretary of any section' से लेकर अन्त तक के सारे शब्द निकाल दिये जायें।

***अध्यक्ष:** यह पूर्ववर्ती नियमों और संशोधनों के परिणामस्वरूप आवश्यक है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नियम 48

***श्री के. सन्तानम्** (मद्रास: जनरल): श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि नियम नं. 48 में 'shall' शब्द की जगह 'may' शब्द रखा जाये। कोरम के सम्बन्ध में आज सभा ने जो संशोधन स्वीकार किया है उसके परिणामस्वरूप यह आवश्यक है।

नियम का स्वरूप यह है–

''जिस प्रस्ताव के ष्ठारा कमेटी बनायी जायेगी उसमें कमेटी की बैठक के लिए सदस्यों की आवश्यक उपस्थिति की संख्या देनी होगी।''

(The motion by which a Committee is to be set up shall state the quorum necessary to constitute a meeting of the Committee.)

चूंकि कोरम के सम्बन्ध में कोई नियम नहीं था इसलिए कोरम का बनाना लाज़िमी था। अब हमारा नियम बन गया है जिसमें एक तिहाई कोरम रखा गया है। इसलिए अब यह बात लाज़िमी नहीं रह गई। मेरा संशोधन यह है कि जिस प्रस्ताव द्वारा कमेटी बनायी जाये उसमें कोरम व्यक्त किया जा सकता है क्योंकि कोरम सम्बन्धी नियम बन चुका है।

***श्री श्रीप्रकाश:** अध्यक्ष महोदय, क्या मैं आपका ध्यान नियम 66 की ओर आकृष्ट कर सकता हूं ? क्या यह नियम स्टियरिंग कमेटी के पास भेजा गया था ?

***अध्यक्ष:** मैं नहीं समझता कि स्टियरिंग कमेटी से परामर्श लिया गया है, पर यह संशोधन एक दूसरे संशोधन के परिणामस्वरूप पेश किया गया है जिसे आपने स्वीकार किया है। यह भी परिणामस्वरूप आवश्यक है।

***श्री श्रीप्रकाश:** मुझे आशा है कि यही आदेश मेरे संशोधन के सम्बन्ध में भी लागू होगा।

***अध्यक्षः** प्रस्ताव यह है कि:–

''नियम 48 में 'shall' शब्द की जगह 'may' शब्द रखा जाये।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नियम 49

***श्री के.एम. मुंशीः** मैं प्रस्ताव करता हूं कि ''नियम 49 से 'or to the section concerned, as the case may be' शब्द हटा दिये जायें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नियम 63

***श्री के.एम. मुंशीः** मेरा प्रस्ताव है कि नियम 63 हटा दिया जाये। प्रान्तीय धारा-सभाओं के द्वारा बनाये गये विधान के मस्विदे पर विचार करने के सम्बन्ध में यह नियम है। कार्यक्रम सम्बन्धी कमेटी की रिपोर्ट पेश करते समय मैंने अपना कारण बताया था और उसे यहां दुहराने की कोई जरूरत नहीं है।

***अध्यक्षः** श्रीयुत मुंशी का संशोधन यह है कि नियम 63 निकाल दिया जाये। कोई सदस्य इसके सम्बन्ध में कुछ बोलना चाहते हैं ?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

***श्री श्रीप्रकाशः** पेश्तर इसके कि मिस्टर मुंशी नियम 67 पर अपना संशोधन पेश करें, मैं प्रस्ताव करता हूं कि नियम 66 हटा दिया जाये। भले ही यह स्टियरिंग कमेटी के पास न भेजा गया हो क्योंकि पूर्ववर्ती नियमों और संशोधनों के परिणामस्वरूप यह नितान्त आवश्यक है। मुझे आशा है कि आप इस संशोधन को पेश करने की अनुमति देंगे। श्रीमान्, मेरे विचार में यह नियम हटा दिया जाना चाहिए और विधान-परिषद को यह क्षमता होनी चाहिए कि नियमादि में परिवर्तन करने के लिए वह आत्म-निहित अधिकारों का प्रयोग कर सके, बजाय इस बात के कि इसके सदस्यों को इस कार्य के लिए हर बार उसे स्टियरिंग कमेटी का मुंह देखना पड़े। आज दोपहर की कार्यवाही में ही यह बात हो चुकी है। श्री सन्तानम् ने मूल नियम पर जो संशोधन पेश किये थे वे मिस्टर मुंशी के संशोधन से सम्बन्धित नहीं थे। श्रीमान्, यदि आप मिस्टर सन्तानम् के संशोधन पर, जो उन्होंने नियम 4 और 5 पर पेश किये हैं, गौर करें तो आपको मालूम होगा कि वे बिलकुल नये संशोधन हैं और उन्हें स्टियरिंग कमेटी के पास नहीं भेजा गया था। जब आपने उन संशोधनों को पेश करने की अनुमति दी है तो मुझे आशा है कि इस संशोधन को भी उपस्थित करने की अनुमति देंगे।

***अध्यक्षः** आपका संशोधन कायदे के बाहर है। जिन संशोधनों का हवाला आपने दिया है उनका सम्बन्ध उन संशोधनों से था जो स्टियरिंग कमेटी द्वारा स्वीकृति हो जाने के बाद बाकायदा सभा के सामने आये थे। इसलिए वे संशोधन तो पूर्णतः नियमानुकूल थे। यह नियम तो स्टियरिंग कमेटी के पास गया ही नहीं इसलिए आपका संशोधन बिलकुल अनियमित है।

नियम 67

***श्री के.एम. मुंशीः** नियम 67 से सम्बन्ध रखने वाले आखिरी संशोधन के सम्बन्ध में मेरा प्रस्ताव है कि–''उसके प्रथम वाक्य से 'The sections and' शब्द तथा उसका समूचा दूसरा वाक्य निकाल दिया जाये।''

यह भी परिणामस्वरूप आवश्यक है।

अध्यक्षः कोई सदस्य इस सम्बन्ध में कुछ बोलना चाहते हैं ?

श्री जसपतराय कपूरः अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मेरी एक वैधानिक आपत्ति है। नियम 67 के आधार पर ही श्री मुंशी अब तक संशोधनों को पेश कर रहे थे। नियम 67 में यह आदेश है कि प्रत्येक प्रस्ताव को स्टियरिंग कमेटी के पास भेजना होगा और यह कमेटी उस पर विचार, अपनी रिपोर्ट असेम्बली के पास लाज़िमी तौर पर भेजेगी। श्रीमान्, इन प्रस्तावों पर जिन्हें श्रीयुत मुंशी ने पेश किये हैं, मैं समझता हूं, स्टियरिंग कमेटी ने विचार कर लिया है; पर इस कमेटी को इन पर विचार करने के अलावा अपनी रिपोर्ट भी तो देनी है। अभी तक तो हमारे सामने इस कमेटी की कोई रिपोर्ट नहीं रखी गई है। अब मिस्टर मुंशी नियम 67 के सम्बन्ध में एक संशोधन रख कर प्रस्ताव पेश कर रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि आखिर स्टियरिंग कमेटी की रिपोर्ट क्या कहती है ? यदि श्री मुंशी के प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में स्टियरिंग कमेटी की कोई रिपोर्ट हमारे सामने नहीं है तो मैं समझता हूं कि नियम 67 को संशोधित करने का उनका प्रस्ताव कायदे के बाहर है।

***अध्यक्षः** जहां तक श्री मुंशी से मैं जान पाया हूं, ये सारे संशोधन जिनके बारे में उन्होंने प्रस्ताव रखे हैं स्टियरिंग कमेटी की ओर से ही आये हैं। यद्यपि ये संशोधन के रूप में आये हैं पर वस्तुतः यही स्टियरिंग कमेटी की रिपोर्ट है।

***माननीय पं. हृदयनाथ कुंजरूः** क्या अध्यक्ष महोदय को यह सूचित किया गया था कि इन नियम सम्बन्धी संशोधनों को स्टियरिंग कमेटी ने प्रस्तावित किया है?

***अध्यक्ष:** स्टियरिंग कमेटी की एक बैठक हुई थी जिसमें इन सभी नियमों और संशोधनों पर विचार किया गया था और वहीं से ये सब आये हैं।

***श्री जसपतराय कपूर:** मेरा निवेदन यह है–हमारे सामने स्टियरिंग कमेटी की रिपोर्ट अवश्य होनी चाहिए। एजेंडा पर इतना ही दिया हुआ है कि श्री मुंशी उन प्रस्तावों को पेश करेंगे जो कार्यक्रम की सूची पर दर्ज किये गये हैं। स्टियरिंग कमेटी की रिपोर्ट हमारे सामने नहीं है। इस कमेटी की रिपोर्ट समुचित ढंग पर माननीय अध्यक्ष महोदय के सामने उक्त कमेटी के सभापति या मंत्री की ओर से आनी चाहिए। श्री मुंशी न तो इस कमेटी के सभापति ही हैं और न मंत्री।

***माननीय सरदार वल्लभभाई पटेल** (बम्बई: जनरल): एक वैधानिक बात पूछनी है। मैं यह पूछता हूं कि नियमों के स्वीकृत हो जाने के बाद आखिर यह बात कैसे उठायी जा सकती है ? इसे तो आरम्भ में ही पूछना था।

***अध्यक्ष:** यह प्रश्न तो शुरू में ही उठाया गया था और उसके जवाब में यह कहा गया कि इन संशोधनों पर स्टियरिंग कमेटी ने विचार कर लिया है। सम्भवत: यह भूल इसलिए हुई है कि एजेंडा में यह बात नहीं बतायी गयी है कि यह स्टियरिंग कमेटी की रिपोर्ट है। अन्यथा, जहां तक नियम पालन का प्रश्न है उसका पूरा निर्वाह किया गया है।

***श्री जसपतराय कपूर:** और फिर वस्तुत: क्या स्टियरिंग कमेटी की कोई रिपोर्ट है भी ?

***अध्यक्ष:** यह स्टियरिंग कमेटी की रिपोर्ट कहकर व्यक्त नहीं हुई है पर है यह वस्तुत: उस कमेटी की रिपोर्ट ही। स्टियरिंग कमेटी ने श्री मुंशी को यह अधिकार दिया है कि वे उसकी ओर से इन संशोधनों को इस सभा के सामने पेश करें।

***माननीय सरदार वल्लभभाई पटेल:** स्टियरिंग कमेटी के सभापति परिषद के भी अध्यक्ष हैं और इसलिए उनका इतना बता देना ही काफी है।

***श्री के.एम. मुंशी:** स्थिति यह है कि विधान-परिषद् के अध्यक्ष अपने पद की हैसियत से स्टियरिंग कमेटी के भी सभापति हैं। इस हालत में स्वाभाविक है कि वह इस रिपोर्ट को नहीं पेश कर सकते। और जो सज्जन पद की हैसियत

[श्री के.एम. मुंशी]

से उक्त कमेटी के मंत्री हैं वे इस सभा के सदस्य नहीं हैं। इस स्थिति में स्टियरिंग कमेटी ने अपने एक सदस्य को कहा कि वे इसके निर्णय को सभा के सामने रखें। वे सभी नियम स्टियरिंग कमेटी की ओर से आये हैं और इस कमेटी ने मुझे इनको सभा के सामने पेश करने का अधिकार दिया है।

***अध्यक्ष:** मैं व्यक्त कर चुका हूं कि संशोधन नियमित हैं। अब मैं श्री मुंशी के संशोधन पर मत लेता हूं।

प्रस्ताव यह है कि–

''नियम 67 के पहले वाक्य से 'the sections and' शब्द तथा उसका समूचा दूसरा वाक्य निकाल दिया जाये।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

***अध्यक्ष:** एक संशोधन मिस्टर श्रीप्रकाश रखना चाहते थे। वह स्टियरिंग कमेटी के पास तो नहीं भेजा गया है पर मैं समझता हूँ कि हमारे नियमों में एक खामी रह गयी है जिसे दूर करने के लिए मिस्टर श्रीप्रकाश उसे पेश कर रहे हैं। मैं सभा की अनुमति चाहता हूं कि वह इस संशोधन को पेश करने दे। यदि सभा ने अनुमति दी तो मैं श्री श्रीप्रकाश को उसे पेश करने को कहूंगा।

***माननीय पं. जवाहरलाल नेहरू:** मैं यह सुझाव रखना चाहता हूं कि श्री श्रीप्रकाश उसे स्टियरिंग कमेटी के पास भेज दें और बाद में उस पर यहां विचार हो।

***अध्यक्ष:** कम या बेशी यह तो महज एक रस्म अदायगी की बात है। हमने अपने नियमों में एक खामी पायी है और इस संशोधन से वह दूर होती है। इसलिए यदि सभा अनुमति दे तो यह कोई जरूरी नहीं है कि केवल नियम निर्वाह के लिए हम उसे स्टियरिंग कमेटी के पास भेजें।

दीवान चम्मन लाल (पूर्वी पंजाब: जनरल): क्या हम अपने बनाये नियमों पर चलने के लिए बाध्य हैं ?

***अध्यक्ष:** अवश्य! अपने बनाये नियमों को मानने के लिये हम बाध्य हैं।

***दीवान चम्मन लाल:** ऐसा तो कोई नियम ही नहीं है जिसके अनुसार अध्यक्ष के लिए सभा की अनुमति लेना आवश्यक हो। मैं यह जानना चाहता हूँ कि स्टियरिंग कमेटी द्वारा पास नियमों के संशोधन के लिए आखिर क्या तरीका है ?

***अध्यक्ष:** संशोधन को सुन लेने के बाद यदि सभा समझे कि इसे स्टियरिंग कमेटी के पास भेजना चाहिए तो मैं वैसा करूंगा। श्री श्रीप्रकाश कृपया अपना संशोधन पढ़कर सुना दीजिए।

***श्री एम.एस. अणे** (दक्षिणी रियासतें): नियम नं. 66 आदेशमूलक है और इसके अनुसार किसी भी सदस्य को यह अधिकार नहीं है कि वह इस सम्बन्ध में अपने मन से काम करे। मेरी समझ में जब तक कि नियमों से अध्यक्ष को यह अधिकार न प्राप्त हो कि वह गम्भीर आवश्यकता आने पर किसी भी नियम का अमल में आना रोक सकते हैं, अध्यक्ष सभा को किसी भी संशोधन को स्वीकार करने के लिए नहीं कह सकते।

***अध्यक्ष:** मेरा ख्याल था कि सभा को यह अधिकार है कि अगर वह चाहे तो अपने नियमों को प्रयोग में आने से रोक सकती है और इसलिए मैं इस संशोधन को पेश करने की अनुमति की जिम्मेदारी स्वयं नहीं लेना चाहता। जहां तक मैं समझता हूं, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसके अनुसार यह सभा या अध्यक्ष किसी भी नियम को अमल में लाने से रोक सके। परन्तु मैं यह मानता हूं कि सभा को यह अधिकार स्वयं प्राप्त है कि वह किसी भी नियम को कुछ काल के लिए अमल में आने से रोक सकती है और किसी भी सदस्य को कोई भी ऐसा प्रस्ताव या संशोधन उपस्थित करने की अनुमति दे सकती है जो इन नियमों में नहीं आता हो।

***श्री जसपतराय कपूर:** मैं आपका ध्यान नियम नं. 26 की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं, जिसमें कहा गया है:–

> **''जब तक कि अध्यक्ष का अन्यथा आदेश न हो, प्रत्येक प्रस्ताव की सूचना, उसकी एक प्रति के साथ, प्रस्ताव असेम्बली में पेश किये जाने वाले दिन से कम से कम साफ-साफ तीन दिन पहले दी जानी चाहिए।''**

***अध्यक्ष:** इसमें तो केवल प्रस्ताव की सूचना की बात कही गयी है। इसीलिए मैंने कहा था कि यदि सभा इसे अभी नहीं विचार करना चाहती तो मैं इसे उपस्थित

[अध्यक्ष]

करने की अनुमति न दूंगा। पर यदि सभा की अनुमति हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए मैं इसे सभा पर छोड़ता हूं। श्री श्रीप्रकाश, कृपया अपना प्रस्ताव पढ़ दीजिए।

***श्री श्रीप्रकाशः** नियम नं. 5 के बाद निम्नलिखित नया नियम जोड़ा जाये:–

''उपरोक्त नियम 4 और 5 के आदेशों के बावजूद, इण्डिया के गवर्नर जनरल, बरतानवी सम्राट की सरकार के 3 जून 1947 वाले वक्तव्य के अनुसार, उन क्षेत्रों से जिनका जिक्र उक्त वक्तव्य के 4 से 14 तक पैरों में आया है, विधान-परिषद् के लिए नये निर्वाचन की आज्ञा जारी कर सकते हैं और इसके बाद यह समझा जायेगा कि वे सदस्य जो उक्त क्षेत्रों से चुने जा चुके हैं, नियम 3 में बताई हुई विधि के अनुसार चाहे वे परिषद में सम्मिलित हुए हों या नहीं, अपना स्थान रिक्त कर चुके हैं और नये निर्वाचित सदस्यों के सम्बंध में यह माना जायेगा कि वे परिषद के नियमानुसार निर्वाचित सदस्य हैं। यह नियम गत 3 जून सन् 1947 ई. से लागू माना जायेगा।''

श्रीमान्, मैं समझता हूं कि यह नियम इतना साफ है कि इसे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। वस्तुस्थिति यह है कि वाइसराय महोदय ने जिस तरीके से काम किया है वह विधान-परिषद द्वारा निर्मित नियमों के प्रतिकूल है। नियम 4 और 5 में साफ तौर पर वह व्यवस्था दी हुई है जिसके अनुसार स्थान रिक्त होंगे और उनकी पूर्त्ति की जायेगी। गत कुछ महीनों के अन्दर उन नियमों की बिलकुल ही अवहेलना की गयी है और नये चुनाव किये गये हैं। बहुतेरे सदस्यों ने अपनी सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया, फिर भी यह समझा जायेगा कि उन्होंने अपना स्थान रिक्त कर दिया है। हम सब इसमें सहमत थे।

अब श्रीमान्, अपनी सम्मान रक्षा के लिए मैं इसे नितान्त आवश्यक समझता हूं कि हम एक ऐसा नियम बनावें, जिससे उन सभी कार्यों को जो इस बीच में हुए हैं, नियमतः स्वीकृति प्राप्त हो जाये। यदि हम इस नियम को नहीं पास करते तो महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि बंगाल और पंजाब के नये सदस्यों को सभा में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसलिए इस नियम को मंजूर करना जरूरी है। आशा है सभा इससे सहमत होगी।

***अध्यक्षः** मैं यह जानना चाहता हूं कि आया यह सभा इस संशोधन को पेश करने की अनुमति देती है या नहीं। हम इसके गुण-दोष के विस्तार में न जायेंगे। प्रश्न केवल इतना ही है कि इस पर विचार करने की अनुमति दी जाये या नहीं ?

***माननीय पं. जवाहरलाल नेहरूः** मैं इसके गुणों के सम्बन्ध में कुछ नहीं कह रहा हूं। जो कुछ मैं कहना चाहता था वह यह है कि यदि इस संशोधन को ले भी लिया जाये तो भी यह ऐसा विषय है जिस पर कि स्टियरिंग कमेटी को विचार करना चाहिये। यह एक अनिश्चित नियम है जिसको यदि गुणों के विचार से स्वीकार कर भी लिया जाये तो भी उस पर वकीलों तथा अन्य व्यक्तियों का विचार करना आवश्यक है। प्रश्न यह है कि इसे किस प्रकार स्वीकार किया जाये। इस ढंग से यह नहीं लिया जा सकता, अन्यथा एक कठिनाई को दूर करने के बजाय हम अन्य कठिनाइयां उत्पन्न करेंगे। मैं निवेदन करता हूं कि इसे स्टियरिंग कमेटी को भेज दिया जाये, उचित मार्ग यही है। *(करतल ध्वनि)*

***अध्यक्षः** मैं इसे हाउस के समक्ष रखता हूं।

संशोधन पर विचार करने की आज्ञा प्राप्त करने वाला प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

***श्री श्रीप्रकाशः** क्या मैं यह समझूं कि यह संशोधन गिर गया ?

***अध्यक्षः** वह गिरा नहीं है; केवल उसको लिया नहीं गया है। आप इसे स्टियरिंग कमेटी को भेज सकते हैं और वह यथाविधि आ जायेगा।

***श्री श्रीप्रकाशः** क्या मैं सम्मानपूर्वक यह पूछ सकता हूं कि उन नये सदस्यों की क्या स्थिति होगी जिनको चुन लिया गया है और जिन्होंने अपने स्थान ग्रहण कर लिये हैं ? नियम 4 तथा 5 के अनुसार क्या वे उपस्थित हो सकेंगे ?

***अध्यक्षः** कल मैंने उन्हें अपने स्थानों पर बैठने दिया था और वे बैठते रहेंगे।

***माननीय पं. जवाहरलाल नेहरूः** क्या मैं यह बताऊं कि जो प्रश्न श्री श्रीप्रकाश ने उठाया है वह महत्वपूर्ण है, पर समस्या यह है कि उसका समाधान किस प्रकार किया जाये। नियमों में विधि-विरुद्ध संशोधन पेश करने का

[माननीय पं. जवाहरलाल नेहरू]

तरीका ठीक नहीं है। सम्भवतः हाउस को यह अधिकार होगा कि प्रस्ताव पास कर सके अथवा यदि नियमों का बदलना आवश्यक हुआ तो हम बदल सकते हैं। परन्तु इस पर उचित अधिकारियों द्वारा विचार होना चाहिये। मेरा एक मात्र निवेदन यह है कि यह इस आकस्मिक रीति से नहीं लिया जा सकता है।

श्री श्रीप्रकाशः हमने आकस्मिक रीति से सदस्यों को दाखिल किया है।

***अध्यक्षः** अब हम आगामी विषय पर अग्रसर हों।

***श्री एच.वी. कामत** (मध्य प्रांत और बरारः जनरल)ः मेरा निवेदन है कि नये नियमों के बन जाने और पुराने नियमों के संशोधित होने अथवा हटा दिये जाने के कारण समस्त नियमों की क्रम संख्या फिर से रखी जाये और सब 'क' 'ख' इत्यादि निकाल दिये जायें।

***अध्यक्षः** हम यह कर लेंगे। मेरा ख्याल है कि संशोधनों के परिणामस्वरूप नियमों की क्रम-संख्या फिर से रखी जाने में हाउस को कोई आपत्ति नहीं है। मैं मान लेता हूं कि यह सबको स्वीकार है।

***पं. गोविन्द मालवीयः** श्रीमान् जी, मेरे विचार से उचित रीति यह होगी कि नियम फिर से संख्याबद्ध किये जायें, तत्पश्चात् नियमानुकूल विधि से हाउस के समक्ष रखे जायें और बिना किसी वाद-विवाद के स्वीकार किये जायें।

***अनेक माननीय सदस्यः** क्यों ?

***अध्यक्षः** अब हम आगे आने वाले विषय को लेंगे।

***श्री देशबन्धु गुप्त** (दिल्ली)ः श्रीमान् जी, आगे आने वाले विषय को लेने के पूर्व क्या मैं यह जान सकता हूं कि उस संशोधन का क्या हुआ जिसकी मैं सूचना दे चुका था ?

***अध्यक्षः** वही, जो कि श्री श्रीप्रकाश के संशोधन का हुआ।

***श्री देशबन्धु गुप्तः** संशोधन के महत्त्व को दृष्टि में रखते हुये मुझे यह निवेदन करने की आज्ञा दीजिये कि हाउस की इजाजत से उस संशोधन को ले लिया जाये।

***अध्यक्षः** मेरे विचार से इस प्रयोग को दोहराने में कोई लाभ नहीं है। आप इसे छोड़िये।

अब हम कार्यक्रम में आगे आने वाले विषय पर अग्रसर होंगे। सरदार वल्लभभाई पटेल अपने प्रस्ताव को पेश करेंगे।

***श्री तजम्मुल हुसैन** (बिहारः मुस्लिम): प्रस्ताव पर अग्रसर होने के पूर्व मैं यह जानना चाहूंगा कि अभी पेश होने वाले प्रस्ताव के सम्बन्ध में मैंने जो प्रस्ताव 4 दिन पहले भेजा था उसका क्या हुआ ?

***अध्यक्षः** मैं समझता हूं कि आप उस कमेटी के भंग करने का उल्लेख कर रहे हैं जो अपना कार्य समाप्त कर भी चुकी और अपनी रिपोर्ट पेश कर चुकी है। क्या आप उसी प्रस्ताव का हवाला दे रहे हैं ?

***श्री तजम्मुल हुसैनः** वही एक प्रस्ताव है जिसे मैंने आपके पास भेजा है।

***अध्यक्षः** मैंने उसको नियम विरुद्ध घोषित किया है क्योंकि कमेटी का कार्य समाप्त भी हो चुका और वह अपनी रिपोर्ट पेश कर चुकी है।

***श्री तजम्मुल हुसैनः** क्या मैं यह समझूं कि इस हाउस की यह प्रथा है कि प्रस्ताव भेजने वाले माननीय सदस्य को यह सूचना न दी जाये कि उसको प्रस्ताव पेश करने की आज्ञा नहीं दी गई है ? अभी तक मुझे इसकी सूचना नहीं मिली।

***अध्यक्षः** मैंने इसे नियम विरुद्ध घोषित कर दिया है।

***श्री तजम्मुल हुसैनः** मैं आपके निर्धारित निर्णय को स्वीकार करता हूं। मैं पूछ रहा हूं कि मुझे सूचना क्यों नहीं दी गई। क्या यही प्रथा है कि जब कोई माननीय सदस्य प्रस्ताव भेजता है और आप उसे पेश करने की इजाजत नहीं देते तो उस सदस्य को आप ऐसी सूचना नहीं देते।

***अध्यक्षः** यदि मैं किसी सदस्य को उसका प्रस्ताव पेश करने की इजाजत नहीं दूंगा तो उसको सूचना देने का भविष्य में ख्याल रखूंगा।

अनुकरणीय प्रान्तीय विधान के सिद्धान्तों के सम्बन्ध में रिपोर्ट

***माननीय सरदार वल्लभभाई पटेलः** मैं प्रस्ताव पेश करता हूं कि यह विधान-परिषद् अनुकरणीय प्रांतीय विधान के सिद्धान्तों के

[माननीय सरदार वल्लभभाई पटेल]

सम्बंध में उस कमेटी की पेश की हुई रिपोर्ट (परिशिष्ट) पर विचार करे जो विधान-परिषद् के 30 अप्रैल 1947 ई. के प्रस्तावनुसार नियुक्त की गई थी।

इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। यह रिपोर्ट एक पक्ष से इस हाउस के समस्त सदस्यों में घुमाई जा रही है। रिपोर्ट समस्त सदस्यों के पास है। इस प्रस्ताव को पेश करते हुये मैं यह बताना चाहता हूं कि यह रिपोर्ट प्रांतीय विधान का अंतिम मस्विदा नहीं है। दिये गये आदेशों के अनुसार कमेटी ने प्रांतीय विधान के कुछ सिद्धान्तों को तय किया है, अत: स्मृति-पत्र में दिये गये खंडों के मौखिक ब्यौरे अथवा उनके कानूनी या वैधानिक रूप-रेखा पर विचार करने की हाउस को आवश्यकता नहीं है। विचार करने के पश्चात् यदि रिपोर्ट के विभिन्न खंड स्वीकार किये जाते हैं, अथवा उनमें कुछ सुधार किया जाता है तो यह काम लेखकों अथवा वकीलों का होगा जिनको विधान का मस्विदा बनाने और इन खंडों को उचित रूप देने का कार्य सौंपा जायेगा। इसलिए विभिन्न खंडों की भाषा पर विचार करने में हाउस को अपना समय व्यर्थ नहीं खोना चाहिए।

यह स्मरण रखना चाहिये कि रिपोर्ट में लगभग 85 प्रतिशत मस्विदे अथवा 85 प्रतिशत प्रान्तीय विधान के सिद्धान्त हैं जिनकी रूप-रेखा बनानी है। आपको स्मरण होगा कि इस हाउस ने एक सलाहकार कमेटी नियुक्त कर दी है। अल्पसंख्यक कमेटी (Minority Committee) और कबायली और पृथक अथवा आंशिक पृथक क्षेत्रों की कमेटी (Tribal & Excluded and Partially Excluded Areas Committee) की रिपोर्टें आ जाने के पश्चात् यह कमेटी (सलाहकार कमेटी) अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। ये रिपोर्टें अभी तक नहीं आई हैं। जब ये आ जायेंगी, सलाहकार कमेटी उन पर विचार करने बैठेगी और उस समय अल्पसंख्यकों की रक्षा और उनके हितों पर विचार किया जायेगा। यह तय कर लिया गया है कि सलाहकार कमेटी इसी माह में बैठेगी और इस अधिवेशन के विसर्जन होने के पूर्व अथवा आगामी अधिवेशन में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। इसलिए वह रिपोर्ट बाद में आयेगी।

आपके समक्ष रखे हुए स्मृति-पत्र के मस्विदे की मुख्य बातों की मैं किंचित-मात्र व्याख्या करूंगा। पहला प्रश्न जिस पर हमें विचार करना पड़ा, यह था कि

प्रांतीय विधान एकात्मक राज्य के (Unitary) नमूने का हो अथवा संघ शासन (Federal) के नमूने का। इस प्रश्न पर कोई मतभेद न था इसलिए कमेटी ने प्रांतीय विधान कमेटी और संघ विधान कमेटी का सम्मिलित अधिवेशन करना उचित समझा। ये दोनों कमेटियां सम्मिलित बैठीं और इस निश्चय पर पहुंचीं कि परिषदात्मक (Parliamentary) प्रणाली के विधान–हमारे परिचित ब्रिटिश ढंग के विधान–को अपनाना इस देश की दशा के लिए अधिक उपयुक्त होगा। यह दोनों कमेटियों ने मान लिया है और तदनुसार प्रांतीय विधान कमेटी ने यह सुझाव पेश किया है कि यह विधान परिषदात्मक ढंग के मंत्रिमंडल के अनुरूप होगा।

खंड 9 में दी हुई कुछ बातों में कुछ भ्रम उत्पन्न हो सकता है। खंड 9 के नोट के अन्तर्गत चार बातों की व्यवस्था है। पहली बतलाती है–प्रांत या उसके किसी भाग की शांति को गम्भीर संकट से बचाना। इसका मतलब है कि गवर्नर को सम्भवत: प्रांत की शांति सम्बंधी गम्भीर संकटावस्था में अधिकार दे दिए गए हैं। परन्तु मैं कह सकता हूं कि कमेटी की ठीक यही मंशा नहीं है। इस प्रश्न पर निर्णय करते हुए कमेटी ने यह बतलाना चाहा कि गवर्नर को केवल यही अधिकार होगा कि प्रांत में उस भीषण परिस्थिति के उत्पन्न होने की, जिससे कि प्रांत की शांति गम्भीर संकटग्रस्त हो जाये, रिपोर्ट अध्यक्ष को करे। कमेटी की यह मंशा न थी कि इस अधिकार या सत्ता का प्रयोग गवर्नर द्वारा किया जाये, जिससे मंत्रिमंडल और गवर्नर में संघर्ष या विरोध उत्पन्न होने की सम्भावना हो सकती है। गवर्नर का सरकारी सेवकों पर नियंत्रण न होने के कारण शासन प्रबन्ध की सत्ता पूर्णत: मंत्रिमंडल के हाथ में आ जाती है। इसलिए देश की वर्तमान दशा के कारण इस प्रश्न पर यद्यपि यथेष्ट मतभेद रहा। कुछ ने सोचा कि देश की वर्तमान असाधारण और अनिश्चित दशा में यह अनुमति योग्य होगा कि गवर्नर को कुछ सीमित अधिकार दिये जायें। अन्त में कमेटी इस निश्चय पर पहुंची कि यह कार्यान्वित (काम में लाने योग्य) नहीं होगा और गति अवरोध उत्पन्न करेगा। इसलिए उचित मार्ग यही होगा कि गवर्नर के अधिकारों को यूनियन के अध्यक्ष को रिपोर्ट करने तक सीमित रखा जाये। यह विषय, कि यूनियन का अध्यक्ष किस परिपाटी का अनुसरण करे अथवा किस अधिकार का प्रयोग करे, संघ अधिकार कमेटी (Union Powers Committee) का होगा और वह इसकी व्यवस्था यूनियन विधान के अन्तर्गत रखेगी। लेकिन जहां तक प्रांतीय विधान का सम्बन्ध है यह स्वीकार किया गया कि केवल रिपोर्ट करने के सीमित अधिकार ही गवर्नर को दिये जायें।

[माननीय सरदार वल्लभभाई पटेल]

तत्पश्चात् खंड 9 के अंतर्गत दूसरी बात है–प्रांतीय व्यवस्थापिका का बुलाना और उसे भंग करना (इस भाग का खंड 20)। यह साधारण अधिकार है जो प्रत्येक विधान में गवर्नर को दिया जाता है, इसलिए इसके बाबत कोई खास बात नहीं है।

तीसरी बात, निर्वाचनों के प्रबंध, निरीक्षण, निर्देशन करने और उन पर नियन्त्रण रखने की व्यवस्था रखती है। इस विषय में मेरे ख्याल से मौलिक अधिकार समिति (Fundamental Rights Committee) ने यह सिफारिश की है कि यूनियन के अध्यक्ष द्वारा एक समिति (Commission) नियुक्त की जाये जो कि दल के प्रभावों से परे हो जिससे कि समस्त प्रांतों में न्याययुक्त निर्वाचन हो सके। मौलिक अधिकारों को स्वीकार करते समय मेरा ख्याल है कि हाउस ने यह भी स्वीकार कर लिया था। इसलिए इस खंड को इस हाउस द्वारा स्वीकृत पहले प्रस्ताव के अनुकूल रखना होगा।

तत्पश्चात् चौथी बात, प्रांतीय पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और मेम्बरों और प्रांतीय आडीटर जनरल की नियुक्ति के सम्बन्ध की है। इस विषय में भी प्रांतीय पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और मेम्बरों की नियुक्ति प्रायः मंत्रिमंडल की सिफ़ारिश से की जाती है।

अतः जब हम खंड 9 का विश्लेषण करते हैं तो व्यवहार में लाने के लिए जो अधिकार प्रांतीय गवर्नर के लिए रह जाते हैं, वे हैं केवल देश की शांति को भीषण खतरे में डालने वाली गंभीर आकस्मिक परिस्थिति के उत्पन्न होने पर अध्यक्ष को रिपोर्ट करना तथा प्रांतीय व्यवस्थापिका का बुलाना और भंग करना।

खंड 9 पर विचार कर लेने के पश्चात् हम कमेटी की उन सिफारिशों पर आते हैं जो व्यवस्थापक मंडल की रचना के सम्बंध में हैं–यानी मंडल दो होने चाहियें अथवा एक। कमेटी ने सामान्यतः यह स्वीकार किया कि केवल एक व्यवस्थापक-मंडल होना चाहिये। परंतु यह भी स्वीकार किया कि यदि कोई प्रांत द्विसभात्मक व्यवस्थापिका चाहता है तो उस प्रांत को इस प्रकार की व्यवस्था करने का अधिकार होगा, बशर्ते कि कमेटी के मतानुसार ऊपर की सभा (Upper House) की रचना आयरिश आधार (Irish Model) पर होनी चाहिए जिसमें कुछ प्रतिशत सदस्यों का चुनाव व्यवसायी प्रतिनिधित्व (Functional Representation) के आधार पर हो और कुछ प्रतिशत सदस्यों की नामज़दगी हो तथा निर्वाचन के

लिए (उक्त) व्यवस्था रखनी पड़ेगी। दूसरी सभा के सम्बन्ध में कमेटी की सिफारिश वर्तमान एक्ट से इस बात में भिन्न है कि व्यवसायी प्रतिनिधित्व के आधार पर आधे सदस्य चुने जायेंगे। नारी, श्रम, व्यवसाय, उद्योग, इत्यादि विशेष हितों का प्रतिनिधित्व निचली सभा (Lower House) में होगा। यह व्यवस्था यथोचित प्रतीत होती है और आयरिश विधान के अनुसार है।

कमेटी ने हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के विषय पर विशेष ध्यान दिया है। कमेटी ने इस बात को बहुत महत्त्वपूर्ण समझा है। न्यायाधीश-समूह को अविश्वास और दल के प्रभावों से परे होना चाहिये, इसलिये यह स्वीकार किया गया कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश, प्रांतीय हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और गवर्नर की जिसे प्रांतों से सम्बन्धित मंत्रिमंडल की सलाह मिल चुकी हो, सलाह से यूनियन के अध्यक्ष द्वारा होनी चाहिये।

इस प्रकार हाई कोर्ट में न्याययुक्त नियुक्तियां करने के लिये अनेकों प्रतिबन्धों की व्यवस्था कर दी है। ये विशेष रूप-रेखायें हैं। कमेटी द्वारा निर्णय किया गया सिद्धांत स्मृति-पत्र में दिया हुआ है और शेष विधान के लिये यह स्वीकार किया गया कि उपयुक्त परिवर्तन करके वर्त्तमान 1935 एक्ट के व्यवहार में आ जाने पर उसका (शेष विधान का) मस्विदा बनाया जाये। इसलिये मैं प्रस्ताव रखता हूं कि कमेटी की इस रिपोर्ट पर विचार किया जाये और यदि हाउस स्वीकार करता है तो रिपोर्ट का एक-एक खंड लिया जाये।

मौलाना हसरत मोहानी (संयुक्त प्रांत: मुस्लिम): जनाबे वाला, अभी मेरे दोस्त सरदार पटेल ने आपके सामने जो रिपोर्ट पेश की है मैं इस मौके पर उनका अहतराम (आदर) करते हुये उस पर यह ऐतराज (आपत्ति) करने के लिये खड़ा हुआ हूं कि जब तक यूनियन कांस्टीट्यूशन की रिपोर्ट पेश न हो जाये उस वक्त तक इस रिपोर्ट का पेश होना किसी सूरत में मुनासिब नहीं मालूम होता। इसकी वजह यह नहीं है कि जैसा पटेल साहब ने कहा कि यह फाइनल नहीं है और जो गलती होगी वह बाद में ठीक हो जायेगी। अगर सिर्फ लफ्जी तब्दीली (शाब्दिक परिवर्तन) की ख्वाहिश (इच्छा) होती तो मैं इस बात को कभी नहीं पेश करता। मैं आपकी खिदमत में और आपके जरिये से अपने नेशनलिस्ट और नेशनल सोसलिस्ट दोस्तों से जो हमारे दरमियान (बीच में) मौजूद हैं

[मौलाना हसरत मोहानी]

कहना चाहता हूं कि मेरा यह ऐतराज अहम और दूररस (महत्वपूर्ण और दूर तक पहुंचने वाला) ऐतराज है। अगर आप इस चीज को सरसरी नजर से देख कर टालेंगे तो मुझको यकीन है कि आप को आखिरकार (अन्त में) फिर तर्जअमल (कार्यविधि) पर नादिम (लज्जित) होना और अफसोस करना (पछताना) पड़ेगा।

यह देखते हुये कि इस कांस्टीट्यूएन्ट असेम्बली में इस वक्त वजुज (केवल) नेशनलिस्ट मेम्बरों के और कोई भी मौजूद नहीं है। बंगाल से एक कम्यूनिस्ट मेम्बर था वह किसी न किसी तरह खारिज हो गया। फारवर्ड ब्लाक वालों में से शरत बोस ने इस्तीफा दिया। यू.पी. के श्री त्रिपाठी और सी.पी. के एक और फारवर्ड ब्लाकिस्ट ने इस्तीफा तो नहीं दिया, मगर मालूम नहीं किस सबब से वह भी इस वक्त यहां नहीं है। मैं अपना फर्ज (कर्त्तव्य) समझता हूं कि अपने उन गैरहाजिर दोस्तों के नुकतये नजर (दृष्टिकोण) को भी आपके सामने बेखौफखतर (निर्भय होकर) पेश कर दूं।

***माननीय सरदार वल्लभभाई पटेल:** एक वैधानिक आपत्ति है। वाद-विवाद गलत तरीके पर हो रहा है। मैं नहीं समझ पाता हूं कि इस प्रश्न का कि विधान प्रतिनिधि शासनवादी (Republican Constitution) हो या न हो प्रांतीय-विधान से क्या संबन्ध है और न इस बात से संबंध है कि विधान उपनिवेशीय (Dominion Constitution) होना चाहिये—क्योंकि आज तो हम प्रांतीय-विधान के सिद्धांत का निर्णय कर रहे हैं—और जब यह प्रश्न उठे कि विधान प्रतिनिधि शासनवादी हो अथवा उपनिवेशीय, उस समय मौलाना हसरत मोहानी कोई संशोधन पेश कर सकते हैं या कुछ कह सकते हैं। आज हम केवल उस प्रांतीय विधान के मस्विदे पर विचार कर रहे हैं जो कि उस स्वाधीन भारत के लिये उपयुक्त हो सकता है जिसका साम्राज्यान्तर्गत स्वराज्य (Dominion-Status) से कोई सम्बन्ध नहीं है। विधान-परिषद् द्वारा पास किये गये प्रस्ताव के अनुसार यह मस्विदा प्रतिनिधि शासनवादी विधान के लिये भी उपयुक्त हो सकता है। इसलिये उन्हें विस्तारपूर्वक बोलने की आज्ञा न दी जाये क्योंकि वर्त्तमान प्रस्ताव से इसका कुछ सम्बन्ध नहीं है।

मौलाना हसरत मोहानी: अगर मुझको किसी खास नीयत से इसको पेश करना होता तो मैं इसको इस शक्ल में पेश न करता। मिसाल (उदाहरण) के

तौर पर अगर मुझको कम्यूनल फीलिंग (सांप्रदायिक भावना) या डालिएटिक टेक्टिक्स (विलंबकारी चालबाजियां) के सिलसले में यह सब करना होता तो मैं आपसे यह कहता कि यह रिपोर्ट उस वक्त तक पेश न की जाये जब तक कि माइनोरिटीज (अल्पसंख्यक समिति) की रिपोर्ट सामने न आ जाये, लेकिन दर-हकीकत सवाल तो सिर्फ इतना है कि आप उसूल से चलिये और जब तक कि यूनियन (संघ) की रिपोर्ट पेश न हो जाये उस वक्त तक आप प्रोविंशियल कांस्टीट्यूशन (प्रांतीय विधान) को पेश न कीजिये।

अगर आप मेरी इस बात को न मानें लेफ्टिस्ट ग्रुप्स को मिलाकर जायेंगे तो मेरी पार्टी कम्यूनिस्टों और फारवर्ड ब्लाकिस्टों की जो है वह दूसरी सूरत से अपनी बात को मनवा कर रहेगी। इस चीज को मैं इस तरह और समझा दूं और वह यह कि जब तक यूनियन की हालत नहीं बदलेगी और यूनियन का कांस्टीट्यूशन (संघीय विधान) नहीं ठीक तरह से बनेगा उस वक्त तक प्रोविंसेज़ की हालत जैसी इस वक्त है वैसी ही रहेगी सिर्फ सूबाजाती (प्रांतीय) आजादी तक महदूद (सीमित) रहेगी जिसकी मिसाल तक हिन्दुस्तानी मसल (कहावत) से दी जा सकती है। यानी ''मोची के मोची ही रहेंगे''।

बेशक पं. नेहरू ने आबजैक्टिव रेजोल्यूशन (लक्ष्य-सम्बन्धी-प्रस्ताव) रिपब्लिक का पेश कर दिया है लेकिन अभी तक उसकी तसरीह (व्याख्या) नहीं हुई कि रिपब्लिक वहदानी (एकाकी गणतन्त्र) (Unitary) किस्म की होगी या वफाती (संघीय गणतन्त्र) (Federal) किस्म की। फिर यह नहीं तय हुआ है कि फैडरल किस्म में से वह मरकजी (केन्द्रीय) (Centripetal) होगी या लाम्जगी (Centrifugal) होगी।

यह जो रिपोर्ट अभी सरदार साहब ने पेश की है उसमें उन्होंने बड़ी होशियारी के साथ यह कहा है कि हम चाहते हैं गवर्नर मुकर्रर किये जायें। आप देखें कि उनके एक लफ्ज के कहने से जो पूरा कांस्टीट्यूशन यूनियन का जो आप पेश करेंगे उसके ऊपर कलम फिर जाता है, इसके क्या माने हैं।

सरदार पटेल के कहने के बमूजिब (अनुसार) अगर यह बात मान भी ली जाये तो उसके यह साफ माने होंगे कि सूबों को सिर्फ प्रोविंशियल ओटोनोमी मिलेगी और अगर ऐसा है तो मैं कहूंगा कि आपकी इतने साल की कुरबानियां

[मौलाना हसरत मोहानी]

जाफिंसानियां (त्याग और परिश्रम) और कुइट इंडिया का रिजोल्यूशन बिल्कुल बेकार हो जायेगा।

***अध्यक्षः** मेरे विचार से हसरत मोहानी का संशोधन वैधानिक है। हाउस को अधिकार है वह उसे स्वीकार न करे।

मौलाना हसरत मोहानीः आप यह कहते थे कि हम आजाद रिपब्लिक कायम करेंगे। पार्टियां धर्म के आधार पर नहीं होंगी, बल्कि शोसलिस्टिक आधार पर होंगी।

***अध्यक्षः** यह सवाल इस वक्त नहीं है। मौलाना, इस वक्त तो बहुत सीधा सवाल यह है कि रिपोर्ट पर गौर किया जाये या नहीं।

मौलाना हसरत मोहानीः मेरे कहने का मतलब यही है कि आप प्रोविंशियल कांस्टीट्यूशन को बैकडोर से पास करना चाहते हैं।

अध्यक्षः आप फरमा चुके जो वजूहात हैं। यह आप भूल चुके हैं कि आपके रिपब्लिक के बारे में और दुनियां के सब सवालों के बारे में बहस करने का मौका नहीं है। जहां तक इस अमेन्डमेंट का सवाल है, आप फरमा चुके हैं कि किन वजूहात पर आप इन्हें पेश करना चाहते हैं। और मैं समझता हूं कि दूसरे सवालों पर बहस न होनी चाहिये।

मौलाना हसरत मोहानीः जनाबे वाला, मैं थोड़ी सी देर में अपने बयान को खतम किये देता हूं। इस वक्त यहां पर जो फारवर्ड ब्लाक के मेम्बर हैं, और कम्यूनिस्ट हैं, वह सब गैरहाजिर हैं। मैं इन सबकी तरफ से सब के हुकूक की रक्षा करूंगा, और अगर आप अपने वोटिंग इस्ट्रेन्थ पर जिस तरह और जो चाहेंगे इस हाउस में पास कर लेंगे, तो मैं दूसरे तरीके सबके अधिकारों की रक्षा के लिए अख्तयार करूंगा। आखिर में एक बार फिर आपसे अर्ज करूंगा कि हरएक काम उसूल से कीजिए सबके अधिकारों का लिहाज रखिए।

***एक माननीय सदस्यः** श्रीमान् जी, एक वैधानिक आपत्ति है। क्या माननीय सदस्य का इस हाउस को भरा हुआ (Packed House) कहना वैधानिक है ? क्या यह परिषदात्मक भाषा है ? उनको इस कथन को वापस लेने के लिए कहा जाये।

***मौलाना हसरत मोहानी:** मैंने किसी अपरिषदात्मक कथन का प्रयोग नहीं किया है। मैंने केवल यही कहा था किसी कदर यहां सभी राष्ट्रीयता के मनुष्य हैं, अत: बहरे हैं। मेरा आशय हाउस की कोई अवज्ञा करने से न था।

***माननीय पं. जवाहरलाल नेहरू:** साहिबे सदर, जिस वक्त यूनियन कांस्टीट्यूशन कमेटी की रिपोर्ट पेश होती तो मैं आप हजरात के सामने एक खास हैसियत से खड़ा होता, लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में जो गलतफहमी पैदा हो गई है मैं इस वक्त उसको दूर करना चाहता हूं। मुमकिन है कि मैं कामयाब न हूं। मौलाना हसरत मोहानी जो बहुत गहरे हैं, और अपने आपको कम्युनिस्ट और फारवर्ड ब्लाकिस्ट का नुमायन्दा और अलम्बरदार समझते हैं, मुमकिन है, कि मैं उनको न समझा सकूं। ऐसी सूरत में जाहिर है कि उनको परेशानी होगी लेकिन जो बात मैं अर्ज करना चाहता हूं वह यह है, और वह कोई खास बात नहीं है। यह बिलकुल ठीक होगा अगर हम प्रोविंशियल कांस्टीट्यूशन के उसूलों के बगैर किसी आब्जैक्ट या मकसद को सामने रखते हुए कि किधर हम जा रहे हैं, अगर इसको लेते हैं तो यह गलत बात है, इस वक्त हमने एक सूबे से शुरू किया है। करीब-करीब 6 महीने हुये इस हाउस ने एक रेजोलेशन मंजूर किया था, उसने एक नक्शा और एक चीज सामने रखी थी और उसको लोगों ने पसंद किया था। जब किसी चीज का एक मर्तवा नक्शा बना दिया जाता है तो ख्याल यह पैदा होता है कि किस चीज को पहले लें और किस चीज को आखीर में।

लेकिन इत्तफाक ऐसा हुआ कि प्रोविंशियल कांस्टीट्यूशन का सवाल पहले उठाया गया और प्रोविंशियल कांस्टीट्यूशन की रिपोर्ट पहले तैयार हो गई थी और उस पर मेम्बरान को काफी गौर करने का मौका मिल गया। दूसरी रिपोर्ट जो अभी सिर्फ 6 या 7 दिन हुए भेजी गई। चुनाचे मेम्बरों की सहूलियत के लिए यह ख्याल हुआ कि इनको इस पर गौर करने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए इस रिपोर्ट को अभी न पेश किया जाये; और प्रोविंशियल कांस्टीट्यूशन की रिपोर्ट को जिस पर काफी गौर हो चुका है, पेश कर दिया जाये।

आप साहिबान के पास यूनियन की रिपोर्ट मौजूद है। अगर साहिबे सदर मुझको आज्ञा दें तो अभी उसको पेश कर दूं। सिर्फ उसमें दिक्कत यह जरूर होगी कि मेम्बरान साहिबान मुमकिन है यह कहें कि हमको इस पर काफी गौर करने का मौका नहीं दिया गया या अगर इस पर गौर करने का मौका दिया जाये तो इस सिलसिलें में दो तीन दिन हमको अपने जाया करने होंगे। इसलिए मुनासिब यह

[माननीय पं. जवाहरलाल नेहरू]

समझा गया कि जो रिपोर्ट पहले तैयार हो चुकी है और जिस पर काफी गौर हो चुका है वह पेश कर दी जाये। जिस तरह यह रिपोर्ट आपके सामने पेश कर दी गई है इसी तरह से यूनियन कांस्टीट्यूशन की रिपोर्ट भी पेश कर दी जायेगी। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई इसमें छुपाने की बात नहीं है और न कोई बात परदे के पीछे होगी।

इसमें एक लफ्ज गवर्नर का है मौलाना साहब इसको सुनकर भड़क गए हैं। यह सही बात है कि गवर्नर का लफ्ज पहले से चला आ रहा है और हम लोग इसको अच्छा नहीं समझते हैं लेकिन यहां पर लफ्ज का कोई सवाल नहीं है। हम नहीं कह सकते कि हमारा आईन अंग्रेजी में होगा या किस जबान में होगा। जहां तक गवर्नर लफ्ज का मतलब है आप जानते हैं कि अमरीका में भी गवर्नर हैं और उनके क्या-क्या अख्तयारात हैं। और वह क्या क्या कर सकते हैं इसलिए में अर्ज करूंगा कि जो हमारे उसूल हैं और जो मकसद हमारे सामने है उसमें कोई गड़बड़ी नहीं पड़ती। इसलिये मैं आपसे यह अर्ज करूंगा कि यह उसूल का सवाल नहीं है बल्कि आपके इतमीनान से काम करने का सवाल है। अगर आप सब लोगों की और सरदार पटेल की राय हो तो मैं यूनियन कांस्टीट्यूशन पेश करने को अभी तैयार हूं।

***श्री मोहम्मद ताहिर** (बिहार: मुस्लिम): अध्यक्ष महोदय, मैं मौलाना हसरत मोहानी द्वारा पेश किये हुए संशोधन का समर्थन करने के लिये उठा हूं और—वह इसलिये—कि वह तर्कपूर्ण है, अर्थात् यह कि जो पूरे के लिये सच है वह एक हिस्से के लिये भी सच है। श्रीमान्, अभी तक हमें यह मालूम नहीं है कि भारतीय संघ के लिये यह सभा किस प्रकार का विधान बनाने का निश्चय करेगी। निस्सन्देह प्रांत भारत के भाग हैं और जब तक हमें भारतीय संघ का विधान न मालूम हो जाये प्रांतीय विधान के सिद्धांतों पर विचार करना उचित न होगा। अभी श्रीमान्, माननीय पं. जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भारतीय संघ का विधान भी तैयार है और हर एक सदस्य के पास उसकी एक प्रति है। लेकिन श्रीमान्, मैं कहूंगा कि उसकी प्रति सदस्यों के पास होना एक बात है और इस सभा द्वारा निर्णय किया जाना दूसरी बात है। इसके अलावा श्रीमान् माननीय पं. जवाहरलाल नेहरू ने अभी कहा कि वे भारतीय संघ-विधान के सिद्धांतों को सभा के सम्मुख रखने के लिये तैयार हैं और यह कि प्रांतीय विधान के सिद्धांतों को सभा के सम्मुख पहले संयोगवशात ही रखा गया। इससे यह प्रकट होता

है कि वे भी यह समझते हैं कि भारतीय संघ के विधान पर पहले विचार होना चाहिये।

श्रीमान्, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें अल्पसंख्यकों की कमेटी, कबाइली क्षेत्रों की कमेटी आदि की रिपोर्टों के बारे में कुछ मालूम नहीं है; लेकिन इन कमेटियों की सिफारिशें विधान में सम्मिलित की जायेंगी। जब तक ये रिपोर्टें न मिल जायें प्रांतीय विधान पर विचार करना उचित न होगा।

इन शब्दों के साथ श्रीमान्, मैं मौलाना हसरत मोहानी के संशोधन का समर्थन करता हूं।

***श्री बालकृष्ण शर्मा** (संयुक्त प्रांत: जनरल): अध्यक्ष महोदय, मैं मौलाना हसरत मोहानी द्वारा पेश किये हुए संशोधन का विरोध करने के लिये उठ खड़ा हुआ हूं। जब एक क्षण पूर्व वे खुदाई फौजदार का अभिनय करने का प्रयत्न कर रहे थे तो मुझे उनकी एक प्रख्यात उक्ति स्मरण हो आई थी। वे कहते हैं कि वे या तो साम्यवादी हैं या सम्प्रदायवादी।

कुछ माननीय सदस्य: वे दोनों हैं।

श्री बालकृष्ण शर्मा: अब वे साम्यवादी और सम्प्रदायवादी दोनों हो गये हैं और इस प्रकार उन्होंने कार्ल मार्क्स और ईसा मसीह के बीच की खाई को पाटने का प्रयत्न किया है। मौलाना एक अत्यंत महान पुरुष हैं। उनमें उद्देश्य के प्रति निष्ठा और ईमानदारी है और इसलिये हम सभी उन्हें हमेशा आदर की दृष्टि से देखते रहे हैं। लेकिन मैंने हमेशा यह देखा कि वे ऐसे आदमियों में से हैं जो हमेशा मिलजुल कर काम करने से इन्कार करते रहे हैं। वे बराबर अपनी खिचड़ी अलग पकाते रहे हैं। मुस्लिम लीग में भी जिसमें वे बहुत आगा पीछा करके सम्मिलित हुए और यद्यपि वे उसके हाई कमान्ड में भी शामिल कर लिये गये थे, उन्होंने अपना व्यक्तित्व अलग बनाये रखा। यहां उन्होंने जो संशोधन पेश किया है वह बहुत ही हास्यास्पद है और वह इस कारण कि चाहे हम संघ-विधान पर पहले विचार करें या प्रांतीय विधान पर इससे बहुत कम अंतर पड़ता है। हमने इस सभा में प्रस्ताव पास करके अपने सामने एक लक्ष्य रखा है और यदि कोई बात उस लक्ष्य के अनुकूल न हो तो इस सभा का कोई भी सदस्य अनुकरणीय प्रांतीय विधान पर या संघ-विधान पर विचार करते समय स्वतंत्रता से उसे जता सकता है। इसलिये हम चाहे प्रांतीय विधान पर पहले विचार करें या संघ-विधान पर, इससे कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता। मौलाना ने यह कहकर एक बुनियादी सवाल उठाया है कि प्रांतीय विधान का उद्देश्य

[श्री बालकृष्ण शर्मा]

प्रांतों को केवल स्वायत्तशासन प्रदान करना होगा या वहां गणतांत्रिक विधान स्थापित करना। यदि मौलाना यह चाहते हैं कि यह सभा उनके मत को स्वीकार करे तो वे प्रांतीय विधान में अवश्य ही संशोधन पेश कर सकते हैं। जो शब्द उनको पसन्द न आये उनको निकालने का प्रस्ताव कर सकते हैं। यदि वे चाहें तो गवर्नर को प्रेसीडेंट बना सकते हैं और प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं को जो भी अधिकार वे देना चाहें दे सकते हैं। यदि उनके संशोधनों को यह सभा स्वीकार न करे तो संघ-विधान पर पहले विचार करने का प्रस्ताव करके उन्हें कोई मदद नहीं मिलेगी। मेरी समझ में नहीं आता कि इससे क्या अंतर पड़ता है ? यह अच्छी तरह समझ लिया जाये कि हमने यह निश्चय किया है कि हम किसी भी विधान का केवल अनुकरण मात्र न करेंगे, चाहे वह अमेरिकन विधान हो या ब्रिटिश या अन्य कोई विधान। हम अपनी आवश्यकताओं के अनुसार एक विधान बनाने जा रहे हैं और हम इसके लिये सच्चेष्ट रहेंगे कि कहीं किसी नमूने की बुराइयों को न अपना लें।

मौलाना ने बहुत मामूली ढंग से रूस का ज़िक्र किया। शायद ये मौलाना भूल गये थे कि रूस और इस अभागे देश में, जहां हम एक दूसरे की जान लेने के लिये उतारू हैं, बहुत फर्क है। हमें इस पर भी विचार करना है कि हम किस परिस्थिति में पड़े हुए हैं। मेरे विचार में यदि हमारा देश किसी ऐसे विधान को स्वीकार करना चाहे जो राज्य-संघ और एक सत्तात्मक शासन पद्धति के बीच का हो तो हमें उसके निर्माण करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिये। हमारे ऐसे देश में, जो हमेशा से विभाजन के तरह तरह के तरीके ढूंढता रहा है—विभाजन की प्रवृत्ति हमारे देश की ऐतिहासिक प्रवृत्ति है—मेरे विचार में हमें इसके लिये सावधान रहना चाहिये कि हम प्रांतों को इतने अधिक अधिकार न दें कि आगे चल कर देश का फिर विभाजन करना पड़े।

इससे किंचित मात्र भी अंतर नहीं पड़ता कि हम प्रांतीय-विधान पर पहले विचार करें या संघ-विधान पर। यदि मौलाना का यह विचार है कि प्रांतीय विधान को एक आदर्श गणतांत्रिक विधान का रूप देने के सम्बन्ध में यह सभा उनके मत को स्वीकार कर लेगी तो उनको अपने विचारों को उसके सामने रखने की पूरी स्वतंत्रता है। लेकिन यदि वे केवल उसे बिगाड़ना चाहें तो वे अपने प्रयत्न में सफल न होंगे।

श्रीमान्, मौलाना ने जिस संशोधन को सभा के सामने रखा है उसका मैं घोर विरोध करता हूं।

श्री नज़ीरुद्दीन अहमद (पश्चिमी बंगाल: मुस्लिम): अध्यक्ष महोदय, मैं मूल प्रस्ताव का समर्थन करना चाहता हूं, यानि यह कि इस समय प्रांतीय-विधान पर विचार होना चाहिये। संशोधन का उद्देश्य यह है कि जब तक संघ-विधान से सम्बन्धित रिपोर्ट पर विचार न हो जाये प्रांतीय-विधान को विचारार्थ न लेना चाहिये। मेरी राय में प्रांतीय-विधान और संघ विधान दो अलग अलग चीजें हैं। चाहे हम जिस विधान को भी पहले लें तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। यदि कोई दोष हो, यदि किन्हीं बातों के बारे में मतभेद हो, यदि कोई बातें ऐसी हों जिनके बारे में किसी सदस्य को आपत्ति हो, तो उसको इस सभा में इस सम्बन्ध में प्रस्ताव करने और संशोधन पेश करने की स्वतंत्रता होगी। जैसा कि बताया जा चुका है संघ-विधान सम्बन्धी प्रस्तावों को सदस्यों के पास भेज दिया गया है और हम यह जानते हैं कि वे किस प्रकार के हैं। इसलिये प्रस्तावित संघ-विधान और प्रांतीय-विधान या पूरा चित्र सभा के सामने है। मेरी राय में ऐसे विषय के सम्बन्ध में हमें अब सभा का अधिक समय न लेना चाहिये। इसका कोई महत्व नहीं है कि किस विधान पर पहले विचार किया जाये। इन थोड़े से शब्दों के साथ मैं मूल प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

***पं. गोविन्द मालवीय:** मेरा प्रस्ताव है कि अब यह बहस बन्द कर दी जाये।

***अध्यक्ष:** बहस बन्द करने का प्रस्ताव पेश हो चुका है। करने के पक्ष में हैं वे कृपा करके 'हां' कहें, और जो इसके पक्ष में नहीं हैं वे 'नहीं' कहें।

प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया।

***अध्यक्ष:** अब प्रस्तावक वाद-विवाद का उत्तर देंगे।

माननीय सरदार वल्लभभाई पटेल: इस प्रस्ताव पर मौलाना हसरत मोहानी ने जो संशोधन पेश किया है वह यह है कि संघ-विधान कमेटी की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद इस प्रस्ताव पर विचार होना चाहिये। मौलाना ने शायद संघ-विधान से सम्बन्धित रिपोर्टों को देखा है क्योंकि वे इस असेम्बली की कार्यवाही को बड़े ध्यान से सुनते रहे हैं। और शुरू में जो लक्ष्य-सम्बन्धी प्रस्ताव इस सभा ने पास किया उसे भी उन्होंने देखा है। अब मैं मौलाना से पूछता हूं कि जो मसविदा मैंने पेश किया है उससे क्या किसी प्रकार उस लक्ष्य-सम्बन्धी प्रस्ताव के मौलिक सिद्धांतों को हानि पहुंचती है ? मेरी समझ में नहीं आता कि उनको इसमें सन्देह ही किस प्रकार हुआ कि यह विधान गणतांत्रिक विधान होगा या शरियत

[माननीय सरदार वल्लभभाई पटेल]

का विधान होगा या जनतांत्रिक विधान होगा। असल बात यह है कि पैरों पर खड़ा होना अच्छा है या सर के बल। हम पैरों पर खड़ा होना अच्छा समझते हैं। हम प्रांत से आरम्भ करेंगे और अन्त में चोटी पर आ जायेंगे। लेकिन कुछ लोग कभी उछलकूद करने की कोशिश करते हैं। उन्हें ऐसा करने की स्वतंत्रता है। मौलाना कहते हैं कि इस प्रस्ताव को चालाकी से पेश कर प्रस्तावक ने कोई चाल चली है। मेरी समझ में नहीं आता कि मैंने कौन सी चाल चली है और वह चाल कहां पर है। सीधा सादा सवाल यह है कि जो मसविदा मैंने पेश किया है उस पर विचार हो या न हो। उन्होंने आज इस पर विचार न होने के समर्थन में कोई तर्क नहीं दिया है। वे यदि यह समझते हैं कि संघ-विधान में कोई वक्त और मौका मिलेगा कि वे अपने सुझाव दें और उसमें बदलाव या संशोधन करने के बारे में राय दें। इस प्रस्ताव में कोई भी ऐसी बात नहीं है जिससे शक शुब्हा पैदा हो सकता है और ऐसे साधारण प्रस्ताव के लिये इस सभा का अधिक समय लेना उचित न होगा। जैसा कि मि. नजीरुद्दीन ने स्पष्ट कर दिया है, इस प्रकार इस सभा का समय व्यर्थ ही नष्ट होगा। दोनों अलग-अलग चीजें हैं। उनमें से कोई भी दूसरे के कार्यक्षेत्र में बाधा नहीं पहुंचाता; इसलिए इन पर निश्चित कार्यक्रम के अनुसार आसानी से विचार हो सकता है। इसलिये इस सभा को इस प्रस्ताव को बिना किसी मतभेद के स्वीकार कर लेना चाहिये।

***अध्यक्ष:** प्रस्ताव यह है कि:–

''यह विधान-परिषद् अनुकरणीय प्रांतीय-विधान के सिद्धांतों से सम्बन्धित रिपोर्ट पर विचार आरम्भ करती है जिसे इस सभा के 20 अप्रैल सन् 1947 ई. के प्रस्ताव द्वारा नियुक्त कमेटी ने पेश किया है। इसमें एक संशोधन पेश किया गया है और वह यह है कि अनुकरणीय प्रांतीय विधान के सिद्धांतों से संबंधित रिपोर्ट पर तब तक विचार न हो जब तक कि संघ-विधान के सिद्धांतों से सम्बन्धित रिपोर्ट पर विचार न हो जाये।''

मैं संशोधन को मतदान के लिये रखता हूं।

संशोधन अस्वीकार किया गया।

***अध्यक्ष:** संशोधन अस्वीकार किया गया है। मैं अब मूल प्रस्ताव को मतदान के लिए सभा के सामने रखता हूं।

प्रस्ताव यह है:–

''यह विधान-परिषद् अनुकरणीय प्रांतीय विधान से सम्बन्धित रिपोर्ट पर विचार आरम्भ करती है, जिसे इस सभा के 30 अप्रैल सन् 1947 ई. के प्रस्ताव द्वारा नियुक्त कमेटी ने पेश किया है।''

प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया।

***अध्यक्ष:** अब हम रिपोर्ट के एक-एक खण्ड पर विचार करेंगे।

***माननीय सरदार वल्लभभाई पटेल:** श्रीमान्, अब आपकी अनुमति से मैं रिपोर्ट का पहला खण्ड पेश करता हूं–अध्याय 1–प्रान्तीय प्रबन्धकारिणी।

''गवर्नर: हर एक प्रांत के लिए एक गवर्नर होगा जो प्रौढ़ मतगणना के आधार पर प्रत्यक्षत: लोगों द्वारा चुना जायेगा।''

[नोट–कमेटी ने यह विचार प्रकट किया कि गवर्नर का चुनाव, जहां तक सम्भव हो, उसी समय हो जब कि प्रांतीय असेम्बली के लिए आम चुनाव हो। कानून द्वारा इसकी व्यवस्था करना कठिन हो सकता है क्योंकि सम्भव है असेम्बली अपनी अवधि के मध्य में ही समाप्त कर दी जाये।]

इस खण्ड में दो महत्त्वपूर्ण बातों का उल्लेख है। पहली बात तो यह है कि हर एक प्रांत के लिये गवर्नर होगा। यह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि वह प्रौढ़ मतगणना के आधार पर चुना जायेगा। आपने प्रांतीय विधान में देखा होगा कि गवर्नर को बहुत सीमित अधिकार दिये गये हैं परन्तु वह बहुत पेचीदे ढंग से चुना जायेगा, इसलिये सम्भवत: यह प्रश्न उठ सकता है कि यदि गवर्नर के सीमित ही अधिकार हैं तो हम ऐसा चुनाव क्यों करें जिसमें इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। प्रांतों में प्रौढ़ मतगणना के आधार पर चुनाव करना एक बहुत ही कठिन काम है परन्तु लोकप्रिय गवर्नर के पद की महानता को ध्यान में रखकर यह आवश्यक समझा गया है। इसलिये यह स्वाभाविक है कि सारे प्रांत की प्रौढ़ मतगणना के आधार पर चुने हुए किसी भी गवर्नर का मंत्रिमंडल पर तथा सारे प्रांत पर बहुत प्रभाव होगा। उसके व उसके पद की प्रतिष्ठा की दृष्टि से भी यह आवश्यक है कि उसे देश के सभी वर्गो के लोगों का समर्थन प्राप्त हो। इस प्रकार इस प्रस्ताव में दो सिद्धांत निहित हैं एक तो यह है कि सभी प्रांतों में अनुकरणीय प्रांतीय विधान सम्बन्धी रिपोर्ट की

[माननीय सरदार वल्लभभाई पटेल]

सिफारिशों के अनुसार गवर्नरों की नियुक्ति आवश्यक है और दूसरा प्रौढ़ मतगणना के अनुसार चुनाव का सिद्धांत है। इसलिये मैं इस प्रस्ताव को पेश करता हूं।

***अध्यक्ष:** इस खण्ड में कई संशोधनों की सूचना मुझे मिली है, उनमें से कई छपे हुए हैं और घुमा दिये गये हैं लेकिन मुझे संशोधन इस समय भी मिल रहे हैं। जो संशोधन मुझे इस समय मिल रहे हैं, उन्हें पेश करने का मेरा विचार नहीं है।

***एक माननीय सदस्य:** क्या मुझे एक सवाल पूछने की आज्ञा है ? सरदार वल्लभभाई पटेल ने अपने भाषण में कहा कि प्रांतीय विधान कमेटी और संघ विधान कमेटी की एक संयुक्त बैठक हुई थी और उस कमेटी के परामर्श के अनुसार कुछ परिवर्तन करने हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि इस खण्ड पर भी विचार हुआ कि नहीं और क्या यह ठीक है कि उस कमेटी ने यह राय दी थी कि गवर्नर का चुनाव प्रत्यक्षत: प्रौढ़ मतगणना से न होना चाहिये बल्कि उसे प्रांतीय व्यवस्थापिका को आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकांकी हस्तान्तरित मत पद्धति द्वारा करना चाहिये ?

***अध्यक्ष:** यह ऐसा प्रश्न है कि जिसका उत्तर प्रस्तावक ही, यदि वे चाहें तो दे सकते हैं।

***श्री टी.ए. रामलिंगम् चेट्टियर** (मद्रास: जनरल): मैं चाहता हूं कि एक बात स्पष्ट कर दी जाये। वह यह है कि इस अनुकरणीय विधान को जो प्रांतों के लिये बनाया गया है प्रांतों को क्या आवश्यक रूप से स्वीकार करना होगा, या इसे प्रांत अपनी इच्छा के अनुसार परिवर्तन करके स्वीकार कर सकते हैं ? मैं चाहता हूं कि यह बात स्पष्ट कर दी जाये।

***अध्यक्ष:** इन सब प्रश्नों का उत्तर यदि प्रस्तावक चाहें तो वही देंगे।

***डा. पी.एस. देशमुख** (मध्य प्रांत और बरार: जनरल): श्रीमान्, जो संशोधन आपको इस समय मिले हैं उनके बारे में मैं एक शब्द कहना चाहता हूं। मैं यह बताना चाहता हूं कि यद्यपि हमसे कहा गया था कि हम संशोधनों को जल्दी ही भेज दें; लेकिन मूल प्रस्ताव इसी समय पेश हुआ है। प्रस्ताव के पेश होने के बाद ही सदस्यों को संशोधन पेश करने का अधिकार है।

इसलिये श्रीमान्, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि जो संशोधन अभी आपके पास भेजे गये और आज छः बजे तक भेजे जायें उनको ले लिया जाये और उन पर विचार किया जाये। इन्हें न लेना थोड़ा बहुत अनुचित होगा।

***अध्यक्षः** डा. देशमुख इससे क्या मैं यह समझूं कि सदस्यों को ऐसे संशोधनों को पेश करने की सूचना देने का अवसर देने के लिये, जिन पर बाद को विचार होगा, हमें सभा स्थगित कर देनी चाहिये ?

***डा. पी.एस. देशमुखः** जी नहीं, मैं केवल यह सुझाव रख रहा हूं कि जो संशोधान छप चुके हैं उन पर हम विचार करें, लेकिन यदि आज कोई अन्य संशोधन भी पेश किया जाये तो उन पर विचार होगा। पहले ही खण्ड में बहुत से संशोधन पेश किये गये हैं और उन पर विचार होने में बहुत देर लगेगी। इसलिये नये संशोधनों को लेने में समय नष्ट न होगा।

***अध्यक्षः** यदि कोई ऐसे संशोधन हैं जिनकी सूचना आपने दे दी है और जिन पर, यद्धपि वे छपे न हों, सदस्यों ने सोच-विचार कर लिया है तो मैं कोई रुकावट नहीं डालूंगा; लेकिन मैं ऐसे संशोधनों को नहीं लूंगा जो काफी समय पहले बिना सूचना दिये और सदस्यों को सोच-विचार के लिये बिना अवसर दिये इस सभा में पेश किये जायें।

***श्री महावीर त्यागी** (संयुक्त प्रांतः जनरल): श्रीमान्, मुझे एक व्यवस्था सम्बन्धी आपत्ति करनी है ?

***अध्यक्षः** व्यवस्था सम्बन्धी आपत्ति किस प्रकार पैदा होती है ?

***श्री महावीर त्यागीः** मैं आपसे नियमों की व्याख्या के सम्बन्ध में एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। श्रीमान्, एक नियम ऐसा है कि जिस दिन प्रस्ताव पेश हो उससे एक दिन पहले संशोधनों की सूचना मिल जानी चाहिये। मैं जानना चाहता हूं कि प्रस्ताव का अर्थ सारी रिपोर्ट से है या हर एक खण्ड को एक प्रस्ताव समझना चाहिये। जहां तक मैं जानता हूं हमारी प्रांतीय व्यवस्थापिका में प्रस्ताव का अर्थ कोई ऐसा प्रश्न होता है जो सभा से पूछा जाये या जिसके बारे में सभा में वाद-विवाद हो। हरएक प्रश्न एक प्रस्ताव होता है, इसलिये श्रीमान्, यदि मैं उदाहरणार्थ इस रिपोर्ट के खण्ड 21 में कोई संशोधन पेश करना चाहूं और यह समझूं कि उस पर परसों विचार होगा और किसी संशोधन की आज सूचना दूं तो मेरे विचार में वह संशोधन नियमित होगा; क्योंकि पूरे एक दिन पहले सूचना दे दी गई है।

***अध्यक्ष:** नियम 32 में कहा गया है:

''जब तक सभापति की इजाज़त न हो किसी प्रस्ताव पर संशोधन की सूचना असेम्बली में प्रस्ताव पेश होने के कम से कम पूरे एक दिन पहले मिल जानी चाहिये।''

जो प्रस्ताव पेश किया गया है वह घुमाया गया था और उसकी सूचना कई दिन पहले दे दी गई थी। और सदस्यों के पास 24 घंटे पहले सूचना देने के लिये काफी समय था, इसलिये मैंने कहा है कि इस समय यदि किसी संशोधन की सूचना दी जाये तो उसको मैं विचारार्थ नहीं लूंगा।

***श्री महावीर त्यागी:** श्रीमान्, मैं यह पूछ रहा था कि तीन दिन बाद खंड 21 का पेश होना प्रस्ताव समझा जायेगा कि नहीं ? वह प्रस्ताव सभा के सामने रहेगा और वह उस पर तीन दिन बाद विचार करेगी। ऐसी स्थिति में मैं यह कहूंगा कि मुझे इस समय संशोधन प्रस्तुत करने का अधिकार है क्योंकि मैं उसे एक दिन से भी अधिक समय पहले दूंगा।

***अध्यक्ष:** जैसा कि मैं कह चुका हूं, यदि मुझे किसी संशोधन की सूचना इतने समय पहले मिल जाये कि मैं उसे सदस्यों के पास भेज सकूं ताकि वे सभा में आने के पहले उस पर विचार कर सकें तो मैं उसे स्वीकार कर सकता हूं। लेकिन मैं ऐसे संशोधनों को स्वीकार नहीं कर सकता हूं जिनको छपवाने और पहले से सदस्यों के पास भेजने का समय न मिले। यदि इस समय किसी ऐसे प्रस्ताव में संशोधन की सूचना दी जाये जो सभा में तीन दिन बाद पेश होगा तो मुझे उसे स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है।

***श्री महावीर त्यागी:** श्रीमान्, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मेरी आपत्ति साफ हो गई है।

***अध्यक्ष:** अब हम संशोधनों पर विचार करेंगे।

***श्री नजीरुद्दीन अहमद** (बङ्गाल: मुस्लिम): श्रीमान्, मैं यह कहना चाहता हूं कि संशोधनों की नकलें हमें आज सुबह ही मिलीं। उनका सम्बन्ध जिन विषयों से है वे बहुत ही कठिन और दुरूह हैं और हमें उन पर विचार करने के लिए काफी समय नहीं मिला। इसलिये मैं चाहता हूं कि हमें संशोधनों को पढ़ने के लिए कम से कम चौबीस घण्टे का समय मिलना चाहिये, ताकि हम हां या नहीं कहने या अपने विचार प्रकट करने के लिए तैयारी कर सकें। मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूं।

***अध्यक्षः** मैं समझता हूं कि ये संशोधन कल रात भेज दिए गए थे।

***श्री नजीरुद्दीन अहमदः** लेकिन हमें वे आज सुबह ही मिले। मुझे मालूम हुआ है कि हममें से कुछ को वे आज इस सभा में आते समय ही मिले।

***अध्यक्षः** मैंने संशोधनों को भेजने के लिये सदस्यों को कल शाम तक का समय दिया था और उनको छपवाने और सदस्यों के पास भेजने में समय लगा है। कुछ सदस्यों को उनकी प्रतियां देर से मिली हैं। यदि सदस्यों का यह विचार है कि उनको संशोधनों पर विचार करने के लिए काफी समय नहीं मिला है, तो हम उन पर विचार बाद में करेंगे। लेकिन हमारे पास अभी 40 मिनट और हैं। और मैं यह सुझाव रखता हूं कि हमें उन पर विचार आरम्भ कर देना चाहिए। हम एक या दो संशोधनों से अधिक पर विचार नहीं कर सकेंगे और यदि कोई कठिनाई हो तो हम उनको स्थगित करने के बारे में विचार कर लेंगे।

***नवाब मोहम्मद इस्माइल खांः** (संयुक्त प्रान्तः मुस्लिम): ये संशोधन आज दोपहर के बाद मेज पर रखे गए। और इनके प्रकाश में बिल पर विचार करने के लिए हमें बिल्कुल समय नहीं मिला है। मेरे विचार में यह उचित ही है कि सदस्यों को संशोधनों के प्रकाश में बिल पर विचार करने का अवसर दिया जाये और उसके बाद संशोधन एक-एक करके लिए जायें।

***अध्यक्षः** मेरा ख्याल था कि संशोधन सदस्यों के पास कल रात भेज दिये गये थे।

नवाब मोहम्मद इस्माइल खांः हमें यह किताब आज दोपहर के बाद मिली है।

***श्री के.एम. मुंशीः** लेकिन अधिकतर सदस्यों को यह कल रात मिल गई थी।

***अध्यक्षः** मालूम पड़ता है कि संशोधनों को सदस्यों के पास भेजने में कुछ देर हुई है क्योंकि कुछ सदस्यों के पते दफ्तर को नहीं मालूम थे। यह जान पड़ता है कि कुछ सदस्यों को ये संशोधन आज दोपहर के बाद बहुत देर तक नहीं मिले। संशोधन पर इस समय विचार हो या न हो, इस सम्बन्ध में मैं सभा की राय से ही काम करना चाहता हूं।

(कुछ देर रुक कर) अब मैं मौलाना हसरत मोहानी से कहूंगा कि वे अपना संशोधन पेश करें।

***श्री बी. पोकर साहब बहादुर** (मद्रास: मुस्लिम): कल मैंने प्रार्थना की थी कि भाषणों का अनुवाद अंग्रेजी में कराने का प्रबन्ध किया जाये। मैं आपको उसकी याद दिलाना चाहता हूं, क्योंकि बहुत से सदस्य अंग्रेजी के अलावा दूसरी भाषाओं में भाषणों को नहीं समझ पाते। इसलिए श्रीमान्, क्योंकि मौलाना उर्दू में बोलने जा रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि उनके बहुमूल्य भाषण का अंग्रेजी में अनुवाद हमें देने का प्रबन्ध किया जाये। *(हर्षध्वनि)*

***मौलाना हसरत मोहानी:** श्रीमान्, मैं खण्ड 1 में अपना संशोधन पेश करता हूं। मेरा ख्याल है कि विदेशी भाषा में अपने विचार प्रकट करने में मुझे कठिनाई होगी, लेकिन अपने मद्रास के मित्र का ध्यान रखते हुए मैं उस भाषा में अपने विचार प्रकट करने का यथाशक्ति प्रयत्न करूंगा। मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

''खण्ड 1 में 'एक गवर्नर' शब्दों की जगह 'एक प्रेसीडेंट' शब्द रख दिये जायें।''

इससे मेरा मतलब यह है कि विधान-निर्माण करने वाले प्रांतों के हम सभी सदस्यों को यह अधिकार प्राप्त है कि हम हरएक प्रांत के लिए प्रांतीय गणतन्त्र (रिपब्लिक) की मांग करें। हमारा यही विचार था और हम यही चाहते थे और यही आशा भी करते थे कि हमें भारतीय गणतन्त्रों का संघ प्राप्त होगा। असेम्बली के पिछले अधिवेशन में श्री त्रिपाठी ने यह संशोधन पेश किया था कि समाजवादी शब्द रख दिया जाये। सभा ने उसका समर्थन नहीं किया। इसके बारे में हम बाद में विचार कर लेंगे। यदि हम गणतांत्रिक संघ स्थापित करें तो चाहे हम फिर उसे समाजवादी गणतन्त्र बनाना चाहें या न बनाना चाहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले तो आप एक राष्ट्रीय विधान बना लें और अधिकांश सदस्य राष्ट्रीय मनोवृत्ति के हो जायें। लेकिन मुझे विश्वास है कि अब दुनिया समाजवादी होना चाहती है और हममें से हर एक व्यक्ति अब समाजवादी हो रहा है और मेरे विचार से हम जल्दी ही एक सुसंगठित वामपक्षी दल बना सकेंगे और यदि देर हुई तो अगले चुनाव तक हम सारे संगठन पर अधिकार जमा लेंगे। यदि आप इस समय प्रत्येक प्रांत में गणतांत्रिक शासन स्थापित करने के लिए सहमत हो जायें तो मुझे इसकी परवाह नहीं है कि आप उसे समाजवादी बनायें या न बनायें। हम उसे समाजवादी गणतन्त्र बना लेंगे। लेकिन मैं कहूंगा कि आप इस सवाल को टाल नहीं सकते। आप यह नहीं कह सकते कि हम केन्द्र में ही गणतन्त्र चाहते हैं और इन प्रांतों में से किसी प्रांत में भी ऐसी व्यवस्था न होने देंगे। आपने यह कहा है कि हर एक प्रांत में एक गवर्नर होगा। यह

आपकी एक चाल है। मैं कहता हूं कि एक प्रेसीडेंट होना चाहिये। यदि आप 'प्रेसीडेंट' शब्द को स्वीकार कर लेते हैं तो इसका अर्थ यह है कि आप हर एक प्रांत में गणतंत्र स्थापित करने के पक्ष में हैं। यदि आप 'प्रेसीडेंट' शब्द को अस्वीकार करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपका निश्चय यह है कि प्रांतों में केवल स्वशासन हो। आप प्रांतों को केवल स्वशासन दे रहे हैं और कुछ नहीं। यदि यही आपका इरादा है तो मैं इसका घोर विरोध करता हूं और अधिक जोरदार शब्दों का प्रयोग न करके केवल इतना कहूंगा कि आप सभी प्रांतों के लोगों के साथ मखौल कर रहे हैं विशेषतया मेरे प्रांत, संयुक्त प्रांत के साथ। मेरे मित्र पण्डित नेहरू कहते हैं कि बाद को आप संघ-विधान में किसी भी प्रकार का संशोधन कर सकते हैं। मैं कहता हूं कि मैं इसी समय यह संशोधन पेश करता हूं कि 'गवर्नर' शब्द की जगह 'प्रेसीडेंट' रख दिया जाये, ताकि संघ-विधान में मैं जब संशोधन पेश करूं तो आप इन बातों पर विचार करने से इन्कार न करें। जब संघ-विधान के बारे में विचार होगा तो यह कठिनाई उठ खड़ी होगी। मेरे मित्र सरदार पटेल ने भी कहा है कि चाहे हम गवर्नर का नाम रखें या प्रेसीडेंट का इसमें कोई अन्तर नहीं है। इसमें बहुत अन्तर है, यदि आप मेरे संशोधन को अस्वीकार करते हैं तो आप कहते हैं कि नहीं हम केवल गवर्नर शब्द को रखेंगे। इसका अर्थ यह है कि आप हमें केवल प्रांतीय स्वायत्त शासन देना चाहते हैं। आप बहुत से प्रांतों को एक कदम भी आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। मैंने आपकी संघ-विधान सम्बन्धी रिपोर्ट को बड़े ध्यान से पढ़ा है। इस रिपोर्ट के पृष्ठ 12 में खण्ड 9 में कहा गया है–

''राज्यसंघ में सम्मिलित किसी रियासत के शासक का शासन प्रबन्ध सम्बन्धी अधिकार उस रियासत में संघ-विषयों के सम्बन्ध में प्रयोग में रहेगा जब तक कि संघ के अधिकारी अन्य व्यवस्था न करें।''

इस खण्ड 9 में एक नोट जोड़ दिया गया है जिसमें कहा गया है:

''इस सम्बन्ध में प्रांतों की स्थिति कुछ भिन्न है। संघ-विषयों के सम्बन्ध में उनके शासन प्रबन्ध सम्बन्धी कोई अधिकार नहीं हैं सिवाय उन अधिकारों के जो राज्य-संघ के कानून द्वारा उनको दिये गये हों।''

भारतीय रियासतों के बारे में आप कुछ नहीं कहते हैं। लेकिन आप कहते हैं कि प्रांतों की स्थिति भिन्न है। विशेष विषयों के सम्बन्ध में उनको अवशिष्ट अधिकार प्राप्त नहीं हैं। आप केवल प्रान्तीय विषयों को निश्चित करते हैं और हमसे कहते हैं कि हम इस खण्ड को स्वीकार कर लें। हम स्वीकार नहीं करेंगे। निस्सन्देह आप

[मौलाना हसरत मोहानी]

बहुमत में हैं। आप जो कुछ भी चाहें पास कर सकते हैं। लेकिन मैं न्याय के नाम पर पूछता हूं कि आपको क्या हक है कि आप भारत के प्रांतों को राज्यसंघ के रिपब्लिक होने से, राज्यसंघ के रिपब्लिक ही नहीं बल्कि राज्यसंघ के समाजवादी रिपब्लिक होने से रोकें। यह प्रस्ताव इस परिषद की किसी पिछली बैठक में पेश किया गया था। आपने उसे स्वीकार नहीं किया। लेकिन उस समय स्थिति दूसरी ही थी। आपको सन्देह था कि पाकिस्तान के लोग शरारत करेंगे, लेकिन अब वे अलग कर दिये गये हैं। कुछ मुस्लिम लीगियों ने यह एतराज़ किया कि चूंकि अब भारत और पाकिस्तान अलग अलग हो गये हैं, इसलिये अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का क्या अर्थ है ? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का अर्थ है भारत की मुस्लिम लीग यानी अल्पसंख्यक प्रांतों की मुस्लिम लीग। उन्होंने कहा कि यदि आप मुस्लिम लीग को चाहते ही हैं तो आप उसे पाकिस्तान में चला सकते हैं, जहां अल्पसंख्यक मुस्लिम प्रांतों का कोई प्रभाव नहीं रहेगा; सिवाय अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की कौंसिल द्वारा, जो मि. जिन्ना के निर्णयानुसार अब भी वर्त्तमान है और जिसके लिये नये सदस्यों का चुनाव हुआ है। *(बाधा)*

***अध्यक्ष:** शांति, शांति।

***एक माननीय सदस्य:** क्या वक्ता यह समझ रहे हैं कि यह अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की कौंसिल है ?

***मौलाना हसरत मोहानी:** जी नहीं, मैं यह बता रहा हूं कि मेरा पाकिस्तान से कोई सम्बन्ध नहीं है सिवाय इसके कि मैं अखिल भारतीय मुस्लिम लीग-कौंसिल का सदस्य हूं। यदि हम संघ-विधान पर पहले विचार करें तो इससे क्या हानि होती है? आपने जान-बूझकर प्रांतीय विधान को पहले रखा है। इसके क्या माने हैं? अनुकरणीय प्रांतीय विधान की रिपोर्ट पर पहले विचार करके आप हमारे साथ बड़ा अन्याय कर रहे हैं। निस्संदेह आप इसे पास कर सकते हैं लेकिन आप प्रांतों को स्वतंत्र होने की मांग करने और रिपब्लिक होने से नहीं रोक सकते। आपने कहा है कि आप सिर्फ एकात्मक रिपब्लिक चाहते हैं, तो आपने अपनी रिपोर्ट में 'राज्यसंघ' शब्द को क्यों रखा है? यह आपने सिर्फ लोगों को धोखा देने के लिए किया है। आपको एकात्मक शब्द के प्रयोग से शर्म मालूम होती है, इसलिये आपने 'राज्यसंघ' शब्द रख दिया है। यही कारण है कि आप प्रांतों को गणतन्त्रात्मक शासन की मांग करने से रोकना चाहते हैं।

मगर मैं आपसे कहूंगा कि आप उनके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। आप अपने अधिकार से उन्हें मजबूर नहीं कर सकते। हम समाजवादी गणतन्त्रों का संघ चाहते हैं और यदि आप अपने प्रांतों को राष्ट्रीयता या राष्ट्रीय विधान स्वीकार करने के लिए मजबूर करें तो इस दुनिया से जल्दी ही आपका नामो-निशान मिट जायेगा।

(सर्वश्री एम. अनन्तशयनम् आयंगर, खुर्शेदलाल, बी. मुनिस्वामी पिल्लई, डा. पी. सुब्बारायन, टी. ए. रामलिंगम चेट्टियर, अजीतप्रसाद जैन और आर. के. सिधवा ने अपने संशोधन पेश नहीं किये।)

***अध्यक्षः** खण्ड 1 के बारे में मुझे इन्हीं संशोधनों की सूचना मिली है। चूंकि कुछ सदस्यों ने संशोधन पेश करने की इच्छा प्रकट की थी और मैंने उस पर विचार करना चाहा था, इसलिए मैंने अभी एक संशोधन पेश करने की इजाजत दी थी। अन्य संशोधन पेश नहीं किये गये। इस संशोधन पर कल विचार होगा।

जहां तक संघ-विधान की रिपोर्ट का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि वह सदस्यों के पास भेज दी गई है और मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे उस रिपोर्ट में अपने संशोधनों की सूचना बृहस्पतिवार की शाम तक दे दें।

अब हम कल दोपहर के बाद 3 बजे तक सभा स्थगित करते हैं।

इसके बाद परिषद् बुधवार 16 जुलाई सन् 1947 ई. के तीन बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गई।

परिशिष्ट

भारतीय विधान-परिषद

कौंसिल हाउस,

नई दिल्ली, 27 जून सन् 1947 ई.

प्रेषकः

माननीय सरदार वल्लभभाई पटेल, सभापति, प्रांतीय विधान-समिति।

सेवा मेंः

अध्यक्ष महोदय, भारतीय विधान-परिषद।

श्रीमान्,

भारतीय विधान-परिषद के 30 अप्रैल सन् 1947 ई. के प्रस्ताव के अनुसार माननीय अध्यक्ष महोदय ने अनुकरणीय प्रांतीय विधान के सिद्धांतों के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये जो समिति नियुक्त की थी, उसके सदस्यों की ओर से मुझे सम्बद्ध स्मृति-पत्र प्रस्तुत करने का गौरव प्राप्त है। जिसमें समिति की सिफारिशें सम्मिलित हैं और जहां कहीं आवश्यक समझा गया है व्याख्यात्मक नोट जोड़ दिये गए हैं।

आपका आज्ञाकारी सेवक,

वल्लभभाई पटेल,

सभापति

भारतीय विधान-परिषद

प्रांतीय विधान समिति

अनुकरणीय प्रांतीय विधान के सम्बन्ध में स्मृति-पत्र

भाग 1

गवर्नरों के प्रांत

अध्याय 1

प्रांतीय शासन प्रबन्धकारिणी

1—गवर्नर: हर एक प्रांत के लिये एक गवर्नर होगा जो प्रौढ़ मतगणना के आधार पर प्रत्यक्षत: लोगों द्वारा चुना जायेगा।

[नोट—समिति ने यह विचार प्रकट किया कि गवर्नर का चुनाव, जहां तक सम्भव हो, उसी समय हो जब कि प्रांतीय असेम्बली के लिये आम चुनाव हो। कानून द्वारा इसकी व्यवस्था करना कठिन हो सकता है क्योंकि सम्भव है, असेम्बली अपनी अवधि के मध्य में ही समाप्त कर दी जाये।]

2—पद की अवधि: (1) गवर्नर चार वर्ष की अवधि के लिये पदासीन रहेगा जब तक कि मृत्यु, पदत्याग या पदच्युत किये जाने की दशा उत्पन्न न हो जाये।

(2) गवर्नर कथित दुराचरण के लिये सार्वजनिक दोषारोपण से पदच्युत किया जा सकेगा। अभियोग प्रांतीय व्यवस्थापिका लगायेगी और जहां व्यवस्थापिका की दो सभाएं हों तो नीचे की सभा अभियोग लगायेगी और फेडरल पार्लियामेंट की ऊपर की सभा अभियोग सुनेगी। हर एक दशा में सम्बन्धित सभा के सदस्यों की कुल संख्या में से कम से कम दो तिहाई सदस्यों को प्रस्ताव का समर्थन करना होगा।

(3) यदि गवर्नर अपनी अनुपस्थिति से बराबर कर्त्तव्य का पालन करे या बराबर अस्वस्थ रहे या चार महीने से अधिक समय तक अपने कर्त्तव्य का पालन न कर सके, तो यह समझा जायेगा कि उसने अपना स्थान रिक्त कर दिया है।

(4) गवर्नर को एक बार, किन्तु एक ही बार, पुनर्निर्वाचन का अधिकार होगा।

3—आकस्मिक रूप से रिक्त स्थान: (1) गवर्नरो के स्थान आकस्मिक रूप से रिक्त होने पर उनको प्रांतीय व्यवस्थापिका आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकाकी हस्तान्तरित मतपद्धति द्वारा निर्वाचित करके करेगी। इस प्रकार निर्वाचित व्यक्ति अपने पूर्वाधिकारी के पद की अवधि के शेष भाग तक पदासीन रहेगा।

(2) गवर्नर के अपनी अनुपस्थिति से कर्त्तव्य का पालन न करने पर या अस्वस्थ होने पर या अधिक से अधिक चार महीने तक अपने कर्त्तव्य का पालन न कर सकने पर राज्यसंघ का अध्यक्ष, गवर्नर के अपने कर्त्तव्य पालन के लिये वापस आने तक या गवर्नर का निर्वाचन होने तक, जैसी भी दशा ही, गवर्नर के कर्त्तव्यों के पालन के लिये ऐसे व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगा जिसे वह इसके योग्य समझे।

4—आयु-सम्बन्धी योग्यता: भारतीय राज्यसंघ का हर एक नागरिक जिसकी आयु 35 वर्ष की हो गई हो, गवर्नर के पद के लिये निर्वाचित होने योग्य समझा जायेगा।

5—निर्वाचन-सम्बन्धी-झगड़े: गवर्नर के निर्वाचन-सम्बन्धी-झगड़ों की जांच और उनका निर्णय राज्य संघ की सर्वोच्च अदालत करेगी।

6—गवर्नर के पद के लिये शर्तें: (1) गवर्नर प्रांतीय व्यवस्थापिका का सदस्य नहीं होगा और यदि प्रांतीय व्यवस्थापिका का कोई सदस्य गवर्नर के पद के लिये निर्वाचित हो जाये तो यह समझा जायेगा कि उस व्यवस्थापिका में उसका स्थान रिक्त हो गया है।

(2) गवर्नर किसी अन्य लाभप्रद पद या ओहदे पर नहीं रहेगा।

(3) गवर्नर का एक सरकारी निवासगृह होगा और वह प्रांतीय व्यवस्थापिका के एक्ट द्वारा निर्धारित वेतन और भत्ते पायेगा और जब तक इसकी व्यवस्था न हो उस वेतन और भत्तों को पायेगा जो परिशिष्ट में निश्चित किये गये हैं।

(4) गवर्नर का वेतन और उसके भत्ते उसके पद की अवधि में कम नहीं किये जायेंगे।

7—प्रांत का शासन प्रबन्ध सम्बन्धो अधिकार: प्रांत के शासन प्रबन्ध के अधिकार को गवर्नर या तो प्रत्यक्ष रूप से या अपने अधीनस्थ अफसरों द्वारा प्रयोग में लायेगा, परन्तु इससे राज्यसंघ की पार्लियामेंट को अधीनस्थ अधिकारियों को काम सौंपने में कोई बाधा नहीं होगी। न इसे यह समझा जायेगा कि गवर्नर को कोई ऐसे काम हस्तान्तर किये गये हैं जो किसी भारतीय कानून द्वारा किसी अदालत, न्यायाधीश या अफसर या किसी स्थानीय या अन्य अधिकारी को सौंपे गये हों।

8—प्रांत के शासन प्रबन्ध सम्बन्धी अधिकार की सीमा: इस विधान के आदेशों, और यदि कोई विशेष समझौता हो, तो उसके विपरीत न जाते हुए हर एक प्रांत के शासन प्रबन्ध सम्बन्धी अधिकार की सीमा उन मामलों तक होगी जिनके सम्बन्ध में प्रांतीय व्यवस्थापिका को कानून बनाने का अधिकार हो।

[नोट—इस आदेश में विशेष समझौतों की ओर जो संकेत किया गया है उसकी कुछ व्याख्या आवश्यक है। यह सम्भव है कि भविष्य में कुछ भारतीय रियासतों या भारतीय रियासतों के समूहों की यह इच्छा हो कि कुछ पारस्परिक हित के विशेष मामलों में उनका और किसी पड़ोस के प्रांत का एक ही शासन प्रबन्ध हो। ऐसी दशाओं में सम्बन्धित नरेश एक विशेष समझौते के द्वारा उस प्रांत को आवश्यक अधिकार सौंप सकते हैं। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इससे किसी सम्बन्धित रियासत या रियासतों के राज्यसंघ में सम्मिलित होने में कोई बाधा नहीं होगी, क्योंकि राज्यसंघ में सम्मिलित होने के विषय का सम्बन्ध राज्यसंघ के विषयों से होगा और जिस अधिकार को सौंपने की यहां कल्पना की गई है उसका सम्बन्ध प्रांतीय विषयों से होगा।]

9—मंत्रिमंडल: एक मंत्रिमंडल होगा जो गवर्नर को उसके कर्त्तव्य पालन में सहायता व सलाह देगा, सिवाय उस दशा के जब कि उसे इस विधान द्वारा या इसके अधीन अपने कर्त्तव्यों का या अपने किसी कर्त्तव्य का अपने विवेक से पालन करने के लिये आदेश न हों।

[नोट—अधिकतर गवर्नर सलाह से काम करेगा लेकिन निम्नलिखित बातों के सम्बन्ध में वह अपने विवेक से काम करेगा:—

(1) प्रांत या उसके किसी भाग की शांति को गंभीर संकट में पड़ने से बचाना [इस भाग का खण्ड 15 (2)]

(2) प्रांतीय व्यवस्थापिका का अधिवेशन बुलाना और उसे समाप्त करना (इस भाग का खंड 20)

(3) निर्वाचनों की व्यवस्था और उनका निर्देशन करना व उन पर नियंत्रण रखना [इस भाग का खंड 22 आदेश (2)]

(4) प्रांतीय पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और मेम्बरों और प्रांतीय आडिटर जनरल की नियुक्ति (भाग 3)

इसकी ओर ध्यान देने की आवश्यकता है कि प्रस्तावित विधान के अधीन गवर्नर लोगों द्वारा निर्वाचित होगा, इसलिये इसकी सम्भावना नहीं है कि वह जिन अधिकारों को अपने 'विवेक' से प्रयोग में लायेगा उनका दुरुपयोग करे।]

10—यदि कोई ऐसा प्रश्न उठे कि कोई मामला गवर्नर के विवेक से तय होगा या नहीं, तो गवर्नर अपने विवेक से जो निर्णय देगा वह अन्तिम होगा।

11—कोई अदालत इस सम्बन्ध में जांच नहीं करेगी कि किसी प्रश्न पर मंत्रियों ने गवर्नर को सलाह दी है या नहीं, और अगर दी है तो क्या सलाह दी है।

12—मंत्रियों के सम्बन्ध में अन्य आदेश: गवर्नर के मंत्री गवर्नर द्वारा चुने जायेंगे और बुलाये जायेंगे और वे उसी काल तक पदासीन रहेंगे जब तक उसकी इच्छा हो।

13—(1) यदि कोई मंत्री बराबर छ: महीने की किसी अवधि तक प्रांतीय व्यवस्थापिका का सदस्य न रहा हो तो वह उस अवधि के समाप्त होने पर मंत्री न रहेगा।

(2) मंत्रियों के वेतन वही होंगे जो प्रांतीय व्यवस्थापिका समय-समय पर एक एक्ट द्वारा निश्चित करेगी और जब तक प्रांतीय व्यवस्थापिका उन्हें इस प्रकार निश्चित न करे, गवर्नर उन्हें निश्चित करेगा:

परन्तु शर्त यह है कि किसी मंत्री का वेतन उसके पद की अवधि तक नहीं बदला जायेगा।

14—उत्तरदायी सरकार की प्रथाओं का अनुकरण होगा: अपने मंत्रियों की नियुक्ति और उनके प्रति अपने व्यवहार के सम्बन्ध में गवर्नर का पथप्रदर्शन

साधारणतया उत्तरदायी सरकार की प्रथाएं करेंगी जिनका विवरण परिशिष्ट में दिया हुआ है। किन्तु गवर्नर के किसी कार्य के औचित्य पर इस कारण आपत्ति न की जायेगी कि वह इन प्रथाओं के अनुकूल नहीं, बल्कि विपरीत किया गया है।

[नोट–परिशिष्ट इस समय गवर्नरों को जारी किये हुये आदेश-पत्र (इंस्ट्रयूमेंट आफ इंस्ट्रक्शन्स) का स्थान ले लेगी।]

15–गवर्नर के विशेष उत्तरदायित्व: (1) अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करने में गवर्नर का निम्नलिखित विशेष उत्तरदायित्व होगा, अर्थात् प्रांत या उसके किसी भाग की शांति को किसी गंभीर संकट में पड़ने से बचाना।

(2) अपने विशेष उत्तरदायित्व को पूरा करने में गवर्नर अपने विवेक से काम करेगा:

परन्तु शर्त्त यह है कि यदि किसी समय अपने विशेष उत्तरदायित्व को पूरा करने में वह यह समझे कि कानून द्वारा व्यवस्था करना आवश्यक है; लेकिन ऐसे कानून की व्यवस्था प्राप्त करने में असमर्थ हो, तो वह राज्यसंघ के अध्यक्ष के पास एक रिपोर्ट भेजेगा जो उस पर ऐसी कार्यवाही करेगा, जिसे वह अपने आकस्मिक परिस्थिति के अधिकारों के अधीन उचित समझे।

16–प्रांत के लिये एडवोकेट जनरल: (1) गवर्नर किसी ऐसे व्यक्ति को जो किसी हाईकोर्ट का जज होने योग्य हो, प्रांत के लिये एडवोकेट जनरल नियुक्त करेगा जो प्रांतीय सरकार को कानूनी मामले में सलाह देगा।

(2) प्रधानमंत्री के इस्तीफा देने पर एडवोकेट जनरल अवकाश ग्रहण कर लेगा, किन्तु नये एडवोकेट जनरल नियुक्त होने तक अपने कर्त्तव्यों का पालन कर सकेगा।

(3) एडवोकेट जनरल वही वेतन पायेगा जिसे गवर्नर निश्चित करेगा।

17–प्रांतीय सरकार के कार्य का संचालन: किसी प्रांत के शासन प्रबन्ध सम्बन्धी कार्य का संचालन गवर्नर के नाम से होगा।

18–कार्य सम्बन्धी नियम: प्रांतीय सरकार के कार्य का संचालन अधिक सुविधाजनक रूप से करने और मंत्रियों के बीच कार्य विभाजन के सम्बन्ध में गवर्नर नियम बनायेगा।

अध्याय 2

प्रांतीय व्यवस्थापिका

19—प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं की रचना: (1) हर एक प्रांत के लिये एक प्रांतीय व्यवस्थापिका होगी और गवर्नर व लेजिस्लेटिव असेम्बली उसके अंग होंगे: निम्नलिखित प्रांतों में इसके अतिरिक्त एक लेजिस्लेटिव कौंसिल भी होगी। (यदि कोई प्रांत ऐसे हों जो ऊपर की सभा स्थापित करने के इच्छुक हों तो उनकी गणना यहां कीजिये।)

(2) लेजिस्लेटिव असेम्बली में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होगा और जनसंख्या के हर लाख के लिये एक प्रतिनिधि से अधिक नहीं होगा; लेकिन किसी भी प्रांत की इस सभा में कम से कम 50 प्रतिनिधि होंगे।

लेजिस्लेटिव असेम्बली के लिये चुनाव प्रौढ़ मतगणना के आधार पर होगा। प्रौढ़ वह व्यक्ति है जिसकी आयु 21 वर्ष से कम न हो।

(3) प्रत्येक प्रांत की प्रत्येक लेजिस्लेटिव असेम्बली, यदि वह इसके पहले समाप्त न कर दी जाये तो अपने पहले अधिवेशन के लिये निश्चित तिथि से चार वर्ष तक रहेगी।

(4) किसी प्रांत में जहां कि व्यवस्थापिका की ऊपर की सभा हो वहां उस सभा की रचना निम्नलिखित प्रकार होगी:—

(क) ऊपर की सभा की कुल सदस्य संख्या नीचे की सभा की कुल सदस्य संख्या के 25 प्रतिशत से अधिक न हो।

(ख) ऊपर की सभा में आयरिश विधान के आधार पर कुछ सीमा तक व्यवसायों का प्रतिनिधित्व होना चाहिये। वितरण निम्नलिखित प्रकार से होगा:—

आधे आयरिश ढंग से व्यवसायों के प्रतिनिधित्व के आधार पर चुने जायेंगे; एक तिहाई नीचे की सभा द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर चुने जायेंगे;

छटा भाग मंत्रियों की सलाह से गवर्नर द्वारा मनोनीत होगा।

[नोट: वर्त्तमान विधान के अधीन मद्रास, बंबई, बंगाल, संयुक्त प्रांत, बिहार और आसाम में दो सभाएं हैं और बाकी में एक सभा है।]

(5) यह तय हो गया था कि प्रत्येक प्रांत की विधान-परिषद के सदस्य अलग-अलग वोट देकर यह निर्णय करें कि उस प्रांत के लिये ऊपर की सभा रखी जाये या नहीं। लेजिस्लेटिव असेम्बली में विश्वविद्यालयों, मजदूरों या औरतों का विशेष प्रतिनिधित्व नहीं होगा।

20—प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं की रचना इत्यादि: प्रांतीय व्यवस्थापिका का अधिवेशन करने, उसे स्थगित करने और समाप्त करने के बारे में आदेश: दो सभाओं के आपस के सम्बन्ध (जहां दो सभाएं हों), वोट देने की प्रणाली, सदस्यों के अधिकार, सदस्य के लिये अयोग्यता, सभा संचालन पद्धति जिसमें आर्थिक मामलों से सम्बन्धित पद्धति भी सम्मिलित है, इत्यादि सन् 1935 ई. के एक्ट में इस सम्बन्ध में जो आदेश हैं उनके आधार पर होंगे।

21—भाषा: प्रांतीय व्यवस्थापिका में प्रांतीय भाषा या भाषाओं या हिन्दुस्तानी (हिन्दी या उर्दू) या अंग्रेजी में कार्यवाही होगी। सभापति (जहां ऊपर की सभा हो) या स्पीकर, जैसी भी दशा हो, जब कभी वह आवश्यक समझे, किसी सदस्य ने जिस भाषा में भाषण दिया हो उससे अन्य भाषा में उसका सारांश सभा के सामने रखने का प्रबन्ध करेगा और यह सारांश सभा की कार्यवाही की रिपोर्ट में सम्मिलित किया जायेगा।

22—प्रांतीय व्यवस्थापिका के लिये मताधिकार: प्रांतीय व्यवस्थापिका निम्नलिखित विषयों या उनमें से किसी विषय के बारे में समय-समय पर आदेश बना सकेगी, अर्थात:

(क) निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाबन्दी,

(ख) मताधिकार के लिये योग्यता और निर्वाचक-सूचियों की तैयारी,

(ग) किसी सभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिये योग्यता,

(घ) किसी सभा में आकस्मिक रिक्त स्थानों को भरना,

(ङ) इस विधान के अधीन चुनावों का संचालन और उनमें वोट देने के तरीके,

(च) इन चुनावों में उम्मीदवारों के खर्चे,

(छ) इन चुनावों में या इनके सम्बन्ध में नाजायज तरीकों को काम में लाना और दूसरे अपराध,

(ज) इन चुनावों से या इनके सम्बन्ध में पैदा होने वाले सन्देहों और झगड़ों का निर्णय,

(झ) ऐसे मामले जो उपरोक्त किसी मामले से सम्बन्ध रखते हों।

परन्तु शर्त यह है कि–

(1) नीचे की सभा का कोई सदस्य 25 वर्ष से कम आयु का न होगा, और ऊपर की सभा का कोई सदस्य 35 वर्ष से कम आयु का न होगा;

(2) निर्वाचनों की व्यवस्था उनके निर्देशन और उन पर नियन्त्रण रखने का अधिकार जिसमें निर्वाचन सम्बन्धी ट्रिब्युनलों की नियुक्ति भी सम्मिलित है, गवर्नर को प्राप्त होगा और वह अपने विवेक से काम करेगा।

अध्याय 3

गवर्नर के कानून बनाने के अधिकार

23–(1) यदि किसी समय, जब कि प्रांतीय व्यवस्थापिका का अधिवेशन न हो रहा हो, गवर्नर को विश्वास हो कि ऐसी परिस्थिति उपस्थित है जिसमें तुरंत कार्यवाही करने की आवश्यकता है तो वह ऐसे आर्डिनेंसों को लागू कर सकता है जिन्हें वह उस परिस्थिति में आवश्यक समझे।

(2) इस खण्ड के अधीन लागू किये हुए किसी आर्डिनेंस का वही बल और प्रभाव होगा जो प्रांतीय व्यवस्थापिका के किसी ऐसे एक्ट का होगा जिसे गवर्नर ने स्वीकार कर लिया हो, लेकिन ऐसा हर एक आर्डिनेंस–

(क) प्रांतीय व्यवस्थापिका के सामने रखा जायेगा और प्रान्तीय व्यवस्थापिका के पुनः सम्मिलित होने के छः सप्ताह बाद प्रयोग में न रहेगा या अगर इस समय के पहले व्यवस्थापिका उसके विरुद्ध प्रस्तावों को पास कर दे तो ऐसे प्रस्तावों में से दूसरे प्रस्ताव के पास होने पर वह प्रयोग में नहीं रहेगा, और

(ख) गर्वनर उसे किसी भी समय वापस ले सकता है।

(3) यदि इस खण्ड के अधीन कोई आर्डिनेंस ऐसा आदेश रखे या ऐसी सीमा तक आदेश रखे कि उसे प्रांतीय व्यवस्थापिका इस विधान के अधीन कानून बनाने में असमर्थ हो तो वह रद्द समझा जायेगा।

[नोट–वर्तमान विधान के अधीन आर्डिनेंस बनाने के अधिकार की बड़ी आलोचना हुई है। परन्तु यह बताना आवश्यक है कि ऐसी परिस्थिति उपस्थित हो सकती है कि किसी कानून का तुरंत लागू करना आवश्यक हो जाये और प्रांतीय व्यवस्थापिका की बैठक बुलाने का समय न रहे। सन् 1925 ई. में लार्ड रीडिंग ने यह आवश्यक समझा कि रूई महसूल खत्म करने के लिये एक आर्डिनेंस जारी किया जाये क्योंकि देश के हित के लिये इसकी तुरंत ही और अवश्य ही आवश्यकता थी। यह सम्भव नहीं है कि गवर्नर, जो लोगों द्वारा निर्वाचित होगा और जिसे साधारणतया व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह से काम करना होगा, उसको दिये हुऐ आर्डिनेंस जारी करने के अधिकार का दुरुपयोग करेगा। इसलिये यह आदेश प्रस्तावित किया गया है।]

अध्याय 4

पृथक और अंशत: पृथक क्षेत्र

(इस अध्याय के अधीन उस समय तक आदेश नहीं रखे जा सकते जब तक कि सलाहकार समिति अपनी रिपोर्ट न पेश कर दे।)

भाग 2

प्रांतीय न्यायाधीश

1. भारत सरकार के सन् 1935 ई. के एक्ट के हाईकोर्ट सम्बन्धी आदेश आवश्यक परिवर्तनों के साथ स्वीकार किये जाने चाहियें परन्तु न्यायाधीशों को राज्यसंघ के अध्यक्ष को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, प्रांत के गवर्नर और प्रांत के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से सलाह लेकर नियुक्त करना चाहिये (सिवाय उस दशा के जब कि हाईकोर्ट का चीफ-जस्टिस ही नियुक्त होना हो)।

2. हाईकोर्ट के न्यायाधीश उन वेतनों और भत्तों को पायेंगे जिन्हें प्रांतीय व्यवस्थापिका कानून द्वारा निश्चित करेगी और जब तक वह ऐसा न करे उन वेतनों और भत्तों को पायेंगे जो परिशिष्ट में दिये हुए हैं।

3. न्यायाधीशों के वेतन और उनके भत्ते उनके पद की अवधि में कम नहीं किये जायेंगे।

भाग 3

प्रांतीय पब्लिक सर्विस कमीशन और प्रांतीय आडिटर जनरल

पब्लिक सर्विस कमीशनों और आडिटर जनरलों के बारे में आदेश सन् 1935 ई. के एक्ट के आदेशों के अनुसार रखे जाने चाहिये। प्रत्येक प्रांतीय पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और मेम्बरों तथा आडिटर जनरल की नियुक्ति का अधिकार गवर्नर को दिया जाना चाहिये, जिसे वह अपने विवेक से प्रयोग में लायेगा।

भाग 4

अन्तर्कालीन आदेश

1. इस विधान के प्रयोग में आने के ठीक पहले यदि किसी प्रांत में कोई व्यक्ति गवर्नर के पद पर हो तो वह पदासीन रहेगा और इस विधान के अधीन उस समय तक प्रांत का गवर्नर समझा जायेगा जब तक कि इस विधान के अधीन नियमित रूप से निर्वाचित उसका उत्तराधिकारी पदासीन न हो जाये।

2. मंत्रिमंडल लेजिस्लेटिव असेम्बली और लेजिस्लेटिव कौंसिल (उन प्रांतों में जो ऊपर की सभा रखने का निर्णय करें) के सम्बन्ध में भी आवश्यक परिवर्त्तनों के साथ, इसी प्रकार के आदेश होने चाहियें।

[नोट—ये आदेश आवश्यक हैं ताकि जैसे ही यह विधान प्रयोग में आये, उस समय प्रत्येक प्रांत में अधिकार अपने हाथ में लेने के लिये एक व्यवस्थापिका और एक सरकार हो।]

3. सब सम्पत्ति, अधिकारों और देने-पाने के सम्बन्ध में हर एक गवर्नर के प्रांत की सरकार इस विधान के प्रयोग में आने के ठीक पहले की उस प्रांत की सरकार की उत्तराधिकारिणी होगी।